मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972

(अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1973)

अद्यतन संशोधित अधिनियम
(माह अप्रैल 2026 की स्थिति में)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

अनुक्रमणिका

अध्याय - 1 : प्रारंभिक 1

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ - 1

धारा 2. परिभाषाएं - 1

अध्याय - 2 : मंडियों की स्थापना 6

धारा 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना - 6

धारा 4. मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन - 6

धारा 5. मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी - 6

धारा 6. अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण - 7

धारा 7. मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन - 9

धारा 8. स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना - 9

धारा 9. बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन – 11

धारा 10. प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति - 11

धारा 11. मंडी समिति का गठन - 12

धारा 11-क. मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण - 16

धारा 11-ख. मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं - 16

धारा 12. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन - 17

धारा 12-क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना - 19

[धारा 12-क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना - 19

धारा 13. प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति - 20

धारा 14. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव - 21

धारा 14-क. अविश्वास का प्रस्ताव की विधिमान्यता का विनिश्चय - 22

अध्याय - 4 : मंडी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य 23

धारा 15. मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति - 23

धारा 16. अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा - 23

धारा 17. मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य - 23

धारा 18. उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन - 27

धारा 19. मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति - 28

[धारा 19-क. [विलोपित]] 30

धारा 19-ख. मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम - 30

धारा 20. लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियाँ - 30

धारा 21. सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण - 32

धारा 22. मंडी प्रांगण में हुये अधिक्रमण को हटाने की शक्ति - 32

धारा 23. गाड़ियों को रोकने की शक्ति - 33

धारा 24. उधार लेने की शक्ति - 34

धारा 25. संविदाएँ करने की रीति - 34

अध्याय - 4क : बजट 37

धारा 25-क. बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना - 37

धारा 26. राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन - 38

धारा 27. सचिव और अन्य अधिकारी - 38

[धारा 28. [विलोपित]] 39
[धारा 29. [विलोपित]] 39
धारा 30. कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति - 39
अध्याय - 6 : व्यापार का विनियमन 41
धारा 31. मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन - 41
धारा 32. अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति - 41
धारा 32-क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति - 42
धारा 33. अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति - 42
धारा 34. अपील - 43
धारा 35. इस अधिनियम के अधीन विहित की गयी व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध - 44
धारा 36. अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में विक्रय - 44
धारा 37. क्रय तथा विक्रय की शर्तें - 45
धारा 37-क. संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन - 46
अध्याय - 7 : मंडी समिति निधि 48
धारा 38. मंडी समिति निधि - 48
धारा 39. मंडी समिति निधि का उपयोजन - 48
अध्याय - 8 : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 49
धारा 40. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड - 49
धारा 40-क. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति - 50
धारा 41. बोर्ड का गठन - 50
धारा 42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि - 51
धारा 42-क. उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग - 52
धारा 42-ख. बोर्ड के सदस्यों को भत्ते - 52
धारा 42-ग. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता - 52
धारा 42-घ. प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति - 53
धारा 42-ङ. उपसमितियों की नियुक्ति - 53
धारा 43. राज्य विपणन विकास निधि - 53
धारा 44. प्रयोजन, जिनके लिए मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जाएगी - 54
धारा 45. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति - 56
धारा 46. बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य - 56
धारा 47. बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां - 57
अध्याय - 9 : शास्ति 57
धारा 48. धारा 6 या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के लिए शास्ति- 57
धारा 49. अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिए शास्ति - 58
धारा 50. मंडी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति - 59
धारा 52. अपराधों का संज्ञान - 60
धारा 53. अपराधों का प्रशमन समझौता - 61
अध्याय - 10 : नियंत्रण 62
धारा 54. मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच - 62
धारा 55. मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना - 63
धारा 56. मंडी समिति का अतिष्ठान - 64
धारा 57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम - 65
धारा 57-क. निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति – 66
धारा 58. हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का

दायित्व - 67
धारा 59. मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति - 69
अध्याय - 11 : प्रकीर्ण 70
धारा 60. अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति - 71
धारा 61. राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली - 71
धारा 62. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य - 72
धारा 63. हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति- 72
धारा 64. मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे - 72
धारा 65. शक्तियों का प्रत्यायोजन - 72
धारा 66. सिविल वाद का वर्जन - 73
धारा 66-क. निर्वाचन याचिका - 73
धारा 67. सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन - 73
धारा 68. कार्यवाहियां रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी - 74
अध्याय - 12 : मंडी की सीमाओं में परिवर्तन 74
धारा 69. मंडी-फीस से छूट देने की शक्ति – 75
धारा 70. मंडी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना - 75
धारा 71. धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया - 76
धारा 72. सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति - 76
धारा 73. सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम - 79
धारा 74. समामेलन का परिणाम - 79
धारा 75. विपाटन का परिणाम - 80
धारा 76. विपाटित मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्वों का प्रभाजन - 80
धारा 77. नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद - 81
धारा 78. समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति - 82
अध्याय - 13 : नियम तथा उपविधियाँ 83
धारा 79. नियम बनाने की शक्ति - 83
धारा 80. उपविधियां बनाने की शक्ति - 86
धारा 81. उपविधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति - 87
धारा 81-क. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति - 87
अध्याय - 14 : निरसन तथा व्यावृत्तियां 89
धारा 82. निरसन तथा व्यावृत्तियां - 89
अनुसूची 90

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972

(अधिनियम क्रमांक 24 सन् 1973)[1]

मध्यप्रदेश राज्य में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का

अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए तथा

कृषि संबंधी मंडियों की स्थापना एवं

उनके उचित प्रशासन के लिए

उपबंध करने के हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय - 1 : प्रारंभिक

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

(1) यह अधिनियम **"मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972"** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

धारा 2. परिभाषाएं -

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"कृषि उपज"** से अभिप्राय कृषि, उद्यान-कृषि, पशु-पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन संबंधी समस्त उत्पादन से है, **[3][***]** जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

[4][(ख) **"कृषक"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए, -

---

[1] - इस अधिनियम को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 1973 को प्राप्त हुई।
[2] - दिनांक 1 जून, 1973 से प्रवृत्त; अधिसूचना क्रमांक 3240-4753-चौदह-1, दिनांक 17 मई, 1973।
[3] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) शब्दों "चाहे वह प्रसंस्कृत हो या न हो" का लोप किया गया।
[4] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1985 द्वारा (दिनांक 12-06-1985 से) खंड (ख) प्रतिस्थापित।

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या

(दो) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा; या

(तीन) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि ऊपर उपखंड (दो) में विनिर्दिष्ट है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रूप में देय हो किंतु फसल के अंश के रुप में देय न हो, रखे गए नौकरों द्वारा, खेती करता हो,

किंतु उसके अंतर्गत कृषि-उपज का कोई व्यापारी, आढ़तिया, [5][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता], दलाल, तुलैया या हम्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी, आढ़तिया, [6][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता], दलाल, तुलैया या हम्माल कृषि-उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;]

(ग) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(घ) **"उपविधियों"** से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनाई गई उपविधियां;

[7][(घघ)] **"कलक्टर"** से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर और उसके अंतर्गत अपर कलक्टर आता है;]

(ङ) **"आढ़तिया"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता [8][व्यापारी], की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अंतर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरुप कृषि-उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में उसे नियोक्ता [9][व्यापारी] को परिदत्त करता है या [10][जो मंडी क्षेत्र के भीतर से या मंडी क्षेत्र के बाहर से,] विक्रय के लिए भेजी गई कृषि-उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मंडी क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता [11][व्यापारी] को विक्रय आगम भेजता है;

[12][(ङङ)] **"संविदा खेती"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि-उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि-उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी;]

---

[5] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[7] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) खंड (घघ) अंतःस्थापित।
[8] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[9] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[10] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) शब्दों "मंडी क्षेत्र के बाहर से" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[11] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[12] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) खंड (डड) अंतःस्थापित और मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 (दिनांक 05-06-1997 से) विलोपित। मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 (दिनांक 15-06-2003 से) पुनः अंतःस्थापित।

[13][(च) **"प्रबंध संचालक"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और वह आयुक्त, मंडी, मध्यप्रदेश भी होगा;]

[14][(चच) **"विनिर्माता"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ से या यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि-उपज का विनिर्माण करता हो;

(चचच) **"विनिर्माण"** से उसके व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है, अपरिष्कृत कृषि-उपज या उसके उत्पाद से, हाथ से या मशीनों द्वारा, उन्हें नया रूप, गुणवत्ता, विशेषता देकर या उनके सम्मिश्रण से, उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन;]

(छ) **"मंडी"** से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी ;

(ज) **"मंडी क्षेत्र"** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई हो;

(झ) **"मंडी समिति"** से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति;

(ञ) **"मंडी कृत्यकारी"** के अंतर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, दबाने वाला (प्रेसर) [15][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता], स्टाकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, [16][***] हम्माल, सर्वेक्षक तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रुप में घोषित किया जाए;

(ट) **"मूल मंडी "** से, किसी मंडी प्रांगण के संबंध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन मूल मंडी (मार्केट प्रॉपर) घोषित किया गया हो;

[17][(ठ) **"मंडी-प्रांगण"** या **"उपमंडी-प्रांगण"** से किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मंडी -प्रांगण या उपमंडी -प्रांगण घोषित किया गया हो;]

[18][**स्पष्टीकरण** : अभिव्यक्ति "उपमंडी प्रांगण" के अंतर्गत हाट बाजार आते है;]

---

[13] - मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 05-06-1997 से) खंड (च) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त खंड निम्न प्रकार था -
"(च) "**संचालक**" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मंडी संचालक के रूप में नियुक्त किया गया हो और उसके अंतर्गत कोई ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारीगण आते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन संचालक की किन्हीं भी ऐसी शक्तियों या कृत्यों का, जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग करने या पालन करने के लिए सशक्त किए गए हैं।"

[14] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) खंड (चच) और (चचच) अंतःस्थापित।

[15] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[16] मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2016) द्वारा (दिनांक 15-01-2016 से) शब्द "भांडागारिक" विलोपित।

[17] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड निम्न था -
"(ठ) "**मंडी प्रांगण**" से तात्पर्य किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे विनिर्दिष्ट स्थान से है, जो धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मंडी प्रांगण घोषित किया हो;"

[18] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) अंतःस्थापित।

[19][(ड) **"अधिसूचित कृषि उपज"** से किसी मंडी के संबंध में अभिप्रेत है समस्त ऐसी उपज जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो;]

[20][(ड-1) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग;]

[21][(डड) **"छोटा व्यापारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में - विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि-उपज दस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि-उपज चार क्विंटल से अधिक न रखता हो:

परंतु वह किसी भी एक दिन में चार क्विंटल धान्य से या दो क्विंटल तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों से अधिक का क्रय नहीं करेगा;]

[22][(डडड) **"प्रसंस्करण"** से अभिप्रेत है चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, अर्धोष्ण करना, पॉलिश करना, ओटना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया जो किसी कृषि-उपज या उसके उत्पादन पर उसके अंतिम उपभोग के पूर्व की जाती है;

(डडडड) **"प्रसंस्करणकर्ता"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि-उपज का प्रसंस्करण शारीरिक श्रम से या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो;]

[23][(डडडडड) **"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों"** का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खंड (24) और (25) में दिया गया है;]

[24][(ढ) [विलोपित]]

(ण) **"सचिव"** से अभिप्रेत है किसी मंडी समिति का सचिव;

[25][(त) **"व्यापारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रसामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कृषि उपज के [26][प्रसंस्करण या विनिर्माण] में लगा हो किंतु उसके अंतर्गत इस उपधारा के खंड (ख) में यथा परिभाषित कृषक नहीं है।]

---

19 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड निम्न था -
"(ड) "**अधिसूचित कृषि उपज**" से, किसी मंडी के संबंध में, अभिप्रेत है, कोई ऐसी उपज जो धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो;"

20 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) अंत:स्थापित।

21 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित।

22 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।

23 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) प्रतिस्थापित।

24 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) खंड (ढ) विलोपित। विलोपन के पूर्व उक्त खंड निम्न प्रकार था -
"(ढ) किसी अधिसूचित कृषि-उपज के संबंध में **फुटकर विक्रय** से अभिप्रेत है, ऐसे परिणाम से, जो कि विहित किया जाए, अनधिक परिणाम में किया जाने वाला कोई विक्रय और शब्द फुटकर विक्रेता का तदनुसार अर्थ लगाया जाए।"

25 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 26 सन् 1987 द्वारा (दिनांक 01-06-1987 से) खंड (त) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त खंड निम्न प्रकार था -
"(त) **व्यापारी** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगा हो।"

26 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) यदि यह प्रश्न उद्‌भूत हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कृषक है या नहीं, तो उस जिले के कलक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा जिसमें कि ऐसा व्यक्ति कृषि उपज की पैदावार या वृद्धि में लगा हो।

अध्याय - 2 : मंडियों की स्थापना

धारा 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना -

(1) किसी ऐसे क्षेत्र में के, जिसके लिए मंडी का स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि उपज पैदावार करने वालों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति में जो कि विहित की जाए, [27]**[**कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का ऐसे क्षेत्र में विनियमन करने के लिए**]** जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा जो कि राज्य शासन को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के, जो एक मास से कम न हो भीतर प्राप्त हो।

धारा 4. मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन -

धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुये हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, यदि कोई हो जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य शासन अन्य अधिसूचना, द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए [28]**[**अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में**]** मंडी स्थापित कर सकेगी [29]**[**और इस प्रकार स्थापित की गई मंडी ऐसे नाम से जानी जाएगी, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।**]**

धारा 5. मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी -

(1) **(क)** प्रत्येक मंडी क्षेत्र में, -

(एक) एक मंडी प्रांगण होगा; और

[30]**[(दो)** एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकेगे;**]**

(ख) [31]**[**प्रत्येक मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण**]** के लिए एक मूल मंडी होगी।

(2) राज्य शासन धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र

---

[27] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "ऐसी कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[28] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "ऐसी कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[29] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।
[30] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "एक या अधिक मंडी प्रांगण हो सकेंगे" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[31] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "प्रत्येक मंडी प्रांगण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अधिसूचना द्वारा, -

[32]**[(क)** किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अंतर्गत मंडी क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथा स्थिति मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण घोषित करेगी;**]** और

(ख) [33]**[**यथास्थिति ऐसे मंडी-प्रांगण या उप मंडी प्रांगण**]** के संबंध में, मंडी क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करेगी।

धारा 6. अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण -

धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर, -

(क) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मंडी क्षेत्र में के किसी स्थान या किसी अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिए न तो निर्माण करेगा न उसकी स्थापना करेगा, न उसको चालू रखेगा और न उसको उपयोग में लाएगा या न उसका निर्माण किए जाने, न उसकी स्थापना की जाने, न उसको चालू रखे जाने और न उसको उपयोग में लाए जाने की अनुज्ञा ही देगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय-

(एक) मंडी-क्षेत्र में के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा; या

(दो) मंडी क्षेत्र में मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा:

परंतु इसमें की कोई भी बात, -

(क) ऐसी कृषि-उपज के विक्रय या क्रय को, -

[34]**[(एक)** जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसे अपने स्वयं के घरेलू उपभोग के लिए खरीदता हो, एक बार में चार क्विंटल से अनधिक परिमाण में किया जाता हो;**]**

(दो) जो सिर पर रखकर लाई गई हो;

[35]**[(तीन)** जिसका क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी [36]**[*******]** द्वारा किया

---

[32] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) खंड (क) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त खंड (क) निम्न प्रकार था -

"(क) किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अंतर्गत किसी मंडी क्षेत्र में की कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो मंडी प्रांगण घोषित करेगी, और"

[33] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "ऐसे मंडी प्रांगण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[34] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपखंड (एक) प्रतिस्थापित।

[35] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपखंड (तीन) प्रतिस्थापित।

[36] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "या किसी फुटकर विक्रेता" का लोप किया गया।

जाता हो;]

[37][(चार)] [***]]

[38][(पांच)] जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य ऐसे अभिकरण या संस्था से किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;]

लागू नहीं होगी;

(ख) किसी सहकारी सोसायटी से कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी कृषि उपज के उसे किए गए अंतरण को लागू नहीं होगी;

[39][(ग)] अनुसूची के भाग सात तथा आठ में अधिसूचित कृषि-उपज जो अधिसूचित मंडी प्रांगण के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो;]

[40][परंतु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गई हो। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ग) की बाबत् क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिए भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निदेश जारी कर सकेगी, और इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया जाना बंधनकारी होगा।]

---

[37] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) उपखंड (चार) विलोपित। विलोपन के पूर्व खंड (चार) निम्न प्रकार था - "(चार) जिसका आयात भारत के बाहर से किया गया हो,"

[38] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।

[39] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) अतःस्थापित।

[40] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था -

"परंतु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गई हो।"

अध्याय - 3 : मंडी समितियों का गठन

धारा 7. मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन -

(1) प्रत्येक मंडी-क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति होगी जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मंडी-क्षेत्र पर होगी।

(2) [41]**[**प्रत्येक मंडी समिति उस नाम से, जो कि ऐसी मंडी के लिए धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, एक निगमित निकाय होगी।**]** उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसे निर्बन्धनों जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किए जाएं, अध्यधीन रहते हुये, वह संविदा करने के लिए तथा किसी भी संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिए सक्षम होगी :

[42]**[**परंतु कोई भी स्थावर संपत्ति प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना अर्जित नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि कोई भी स्थावर संपत्ति राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों में विहित रीति से भिन्न रीति में विक्रय, के द्वारा पट्टे के द्वारा या अन्यथा अंतरित नहीं की जाएगी।**]**

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुये भी, प्रत्येक मंडी समिति समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझी जाएगी।

धारा 8. स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना -

(1) मंडी समिति किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अपनी कोई ऐसी भूमि या भवन, जो मंडी प्रांगण के भीतर स्थित हो और जो मंडी की स्थापना के अव्यवहित पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंडी के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता था, अंतरित कर दे और स्थानीय प्राधिकारी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के एक मास के भीतर यथास्थिति भूमि या भवन, को ऐसे निबन्धनों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, मंडी समिति को अंतरित कर देगा।

(2) जहां स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा मंडी समिति के बीच

---

[41] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) शब्दों "प्रत्येक मंडी समिति ऐसे नाम से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें, एक निगमित निकाय होगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[42] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था -

"परंतु कोई भी स्थावर संपत्ति, संचालक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।"

उक्त उपधारा के अधीन कोई करार न हो पाये, वहां मंडी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि या भवन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समिति में निहित हो जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्रतिकर का संदाय कर दिया जाएगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा उपधारा (5) के अधीन अवधारित किया जाये:

परंतु किसी स्थानीय प्राधिकारी को कोई प्रतिकर किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में देय नहीं होगा जो ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के गठन से संबंधित अधिनियमिति में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर इसमें निहित हुआ था किंतु ऐसे निहित होने के लिए किसी भी रकम का संदाय नहीं किया गया था :

परंतु यह और भी कि कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी पक्षकार, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन मंडी समिति में निहित होने वाली भूमि या भवन का कब्जा ऐसे निहित होने से सात दिन की कालावधि के भीतर परिदत्त कर देगा और पूर्वोक्त कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के ऐसा करने में चूक होने पर, कलेक्टर उस भूमि या उस भवन का कब्जा ले लेगा और उसे मंडी समिति को परिदत्त कराएगा।

(4) राज्य सरकार का आदेश तथा उस आदेश के अध्ययीन रहते हुये उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) कलेक्टर भूमि या भवन के लिए प्रतिकर की रकम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये नियत करेगा:-

(एक) वार्षिक भाटक जिस पर उस भवन को वर्ष प्रति वर्ष भाड़े पर दिये जाने की युक्तियुक्त रुप से प्रत्याशा की जा सकती हो;

(दो) भवन की दशा;

[43]**[(तीन)** ऐसे भूमि के अर्जन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकर की रकम और उस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य; और

(चार) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस भूमि पर परिनिर्मित किए गए किसी भवन की या भूमि पर निष्पादित किए गए किसी अन्य कार्य की लागत या उसका वर्तमान बाजार मूल्य।**]**

(6) उपधारा (5) के अधीन नियत किए गए प्रतिकर का, मंडी समिति के विकल्प पर एकमुश्त राशि में या दस से अनधिक इतनी समान वार्षिक किश्तों में, जितनी कि कलेक्टर नियत करे, संदाय किया जा सकेगा। जहां प्रतिकर का संदाय किश्तों में

---

[43] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) खंड (तीन) एवं (चार) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (तीन) एवं (चार) निम्न प्रकार थे -

"(तीन) ऐसे भूमि के अर्जन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की रकम; और

(चार) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस भूमि पर परिनिर्मित किए गए किसी भवन की या भूमि पर निष्पादित किए गए किसी अन्य कार्य की लागत या उसका वर्तमान मूल्य।"

किया जाय, वहां उस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो किश्त के साथ देय होगा।

धारा 9. बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन –

(1) जब मंडी-क्षेत्र के भीतर की कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और बोर्ड या मंडी समिति उसे करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो, तब राज्य सरकार, यथास्थिति बोर्ड या मंडी समिति के निवेदन पर, ऐसी भूमि को लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किए गए प्रतिकर का तथा किन्हीं अन्य प्रभारों का, जो कि उस अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किए गए हों, मंडी समिति द्वारा संदाय किया जाने पर, वह भूमि यथास्थिति बोर्ड या मंडी समिति में निहित हो जायगी।

[44][(2) कोई भूमि जो उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या मंडी समिति के लिए अर्जित की जा चुकी हो और उसमें निहित हो, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ही विक्रय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अंतरित की जाएगी।]

[45][(3) मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में, जहां तक कि वे भूमि के व्यपवर्तन, कृषि से किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरुप भू-राजस्व के पुनरीक्षण तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों से संबंधित है, अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो कि मंडी समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई हो या जो अंतरण द्वारा, क्रय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा अर्जित की गई हो और किसी मंडी-प्रांगण या किसी उपमंडी प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई हो :

परंतु मंडी-प्रांगण, उपमंडी प्रांगण के लिए या बोर्ड के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गए परिसरों के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वे यथास्थिति नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की सीमाओं में सम्मिलित है।]

धारा 10. प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति -

[46][धारा 10. प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति –

---

44 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) प्रतिस्थापित।

45 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (3) निम्न प्रकार थी -

9(3) "मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 तथा 172 की कोई भी बात उस भूमि को लागू नहीं होगी, जो उपधारा (1) के अधीन मंडी समिति के लिए अर्जित की गई हो या अंतरण द्वारा, क्रय द्वारा, दान द्वारा अन्यथा अर्जित की गई हो और मंडी प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई हो।"

46 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 8 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 16-01-1994 से) धारा 10 प्रतिस्थापित।

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मंडी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो [47]**[**प्रबंध संचालक**]** आदेश द्वारा [48]**[**दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए**]** किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी [49]**[**प्रबंध संचालक**]** के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा :

परंतु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति [50]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक के रुप में कार्य करेगा :

परंतु यह और भी कि यदि मंडी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने तक के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी नवीन रूप से गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाधक अधिकारी को, किसी भी समय [51]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए वेतन तथा भत्ते, जो कि [52]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा नियत किए जाएं, मंडी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी उस उपधारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पद धारण किए रहेगा जो कि नवीन रुप से गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए [53]**[**धारा 13 की उपधारा (1)**]** के अधीन नियत की गई है।**]**

धारा 11. मंडी समिति का गठन -

[54]**[**धारा 11. मंडी समिति का गठन –

(1) मंडी समिति में निम्नलिखित होंगे, -

---

[47] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[48] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों "चार वर्ष छह मास की कालावधि के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[49] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[50] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[51] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[52] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[53] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों और अंकों "धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[54] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 11 प्रतिस्थापित।

(क) धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष;

(ख) कृषकों के दस प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हों जैसी कि विहित की जाएं, जो किसी मंडी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों;

स्पष्टीकरण :

इस खंड में अभिव्यक्ति "कृषकों के प्रतिनिधि" के अंतर्गत मंडी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आयेगा यदि ऐसे कृषक का कोई नातेदार अर्थात् पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पिता का पिता, पिता का भाई, पिता की बहिन, माता का पिता, माता का भाई या बहिन, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री, पिता की बहिन का पुत्र या पुत्री, माता के भाई का पुत्र या पुत्री, माता की बहिन का पुत्र या पुत्री, भाई का पुत्र या पुत्री, बहिन का पुत्र या पुत्री, पुत्र की पत्नी, पुत्री का पति, बहिन का पति, पत्नी की बहिन का पति, पिता की बहन का पति, माता की बहिन का पति, पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री, पत्नी का पिता या माता, पत्नी का भाई या बहिन, पत्नी के भाई का पुत्र या पुत्री, पत्नी की बहिन का पुत्र या पुत्री, पति का भाई, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई का पुत्र या पुत्री, राज्य की किसी मंडी समिति से व्यापारी-अनुज्ञप्ति धारण करता है;

(ग) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी कि विहित की जाएं, जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों के रूप में या [55][प्रसंस्करण या विनिर्माण] कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रूप में मंडी समिति से लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किए हों :

परंतु किसी ऐसी मंडी समिति के मामले में, जो धारा 10 के अधीन प्रथमबार स्थापित की गई हो ऐसी मंडी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी :

[56][परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति मंडी समिति के व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हित नही होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परंतु यह भी कि व्यापारी का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है :]

परंतु यह [57][भी] कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी

[55] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[56] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) परंतुक अंतःस्थापित।
[57] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) शब्द "और" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

समिति का मतदाता नहीं होगा :

परंतु यह भी कि कोई भी व्यक्ति तभी मतदाता होगा जबकि, -

(एक) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(दो) वह मंडी समिति का व्यतिक्रमी नहीं हो;

स्पष्टीकरण :-

अभिव्यक्ति "व्यतिक्रमी" में ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसने मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति द्वारा वसूल किए जाने वाले निराश्रित शुल्क के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो;

(घ) राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है:

परंतु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक से अधिक मंडी समितियां विद्यमान है, वहां [58][लोकसभा के सदस्य को अपना विकल्प देना होगा] कि वह ऐसी मंडी समितियों में से किस मंडी समिति में सदस्य होना चाहता है:

[59][परंतु यह और कि लोक सभा का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य जो मंडी समिति का सदस्य है अपने प्रतिनिधि को जो ऐसी अर्हता रखता हो, जैसी कि विहित की जाए, मंडी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित कर सकेगा;]

(ङ) ऐसे मंडी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा:

परंतु यदि ऐसे मंडी क्षेत्र में एक से अधिक सोसाइटी कृत्य कर रही हैं तो ऐसा सदस्य ऐसी सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस खंड में की कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि किसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उपबंधों के अधीन अतिष्ठित कर दी गई है;

---

[58] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) शब्दों "ऐसा सदस्य इस संबंध में अपना विकल्प देगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[59] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था -
"परंतु यह और कि राज्य की विधान सभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य समस्त मंडी समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।"

(च) राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

[60]**[(छ)** मंडी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जिसे कि इस अधिनियम के अधीन किसी मंडी समिति के ऐसे तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों से अनुज्ञप्ति धारण कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा उन्हीं के बीच से ऐसी रीति में चुना गया हो जो कि विहित की जाए;

परंतु धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मंडी समिति की दशा में, ऐसी मंडी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने कि अर्हकारी कालावधि छह मास होगी;**]**

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये;

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये;

(ञ) मंडी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु जिला मुख्यालयों में स्थित मंडी समितियों में ऐसा प्रतिनिधि, केवल जिला पंचायतों के सदस्यों में से ही नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, सिवाय ऐसे सदस्यों के, जो खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए हों और ऐसे सदस्य, जो उपधारा (1) के खंड (घ) के द्वितीय परंतुक के अधीन विशेष आमंत्रित सदस्य हों।

(3) राज्य सरकार मतदाता-सूची को तैयार करने के लिए तथा निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बना सकेगी।

(4) यदि उपधारा (1) के खंड ख या (ग) के अधीन निर्वाचक मण्डल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने में असफल रहता है तो कलक्टर यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करेगा।

(5) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन तथा नामनिर्देशन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।**]**

---

[60] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 25 सन् 2010 (दिनांक 16-09-2010 से) खंड (छ) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (छ) निम्न प्रकार था -

"(छ) मंडी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मंडी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

धारा 11-क. मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण -

[61][धारा 11-क. मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण –

(1) कलक्टर स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मंडी क्षेत्र को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी कि उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषकों के प्रतिनिधियों की संख्या हो ।

(2) प्रत्येक मंडी समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस मंडी समिति में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस मंडी समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे स्थानों का आवंटन विहित रीति में किया जाएगा।

(3) जहां किसी मंडी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की कुल जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम है वहां स्थानों की कुल जनसंख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कलक्टर द्वारा विहित रीति में आंवटित किए जाएंगे।**]**

धारा 11-ख. मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं -

[62][धारा 11-ख. मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं –

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति -

(2) [63]**[(क)** जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूस्वामी के रूप में प्रविष्ट है या जिसने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए है;**]**

---

[61] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 11-क प्रतिस्थापित।
[62] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 11-ख प्रतिस्थापित।
[63] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 सन् 2011 (दिनांक 06-09-2011 से) खंड (क) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (क) निम्न प्रकार था -

"(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूस्वामी के रूप में प्रविष्ट है;"

(ख) जो मंडी क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है;

(ग) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,

कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगाः

परंतु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :

शब्द "**भूमि स्वामी**" का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि -

(क) उसका नाम मंडी क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह कृषक है;

(ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निरर्हित नहीं किया गया है;

[64]**[(गग)** उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परंतु कृषकों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है।**]**

(3) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 के अधीन किसी पंचायत के पदधारी होने के लिए निरर्हित है।

(4) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक मंडी समिति या निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।**]**

धारा 12. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन -

[65]**[**धारा 12. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन –

[64] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) खंड (गग) अंतःस्थापित।
[65] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 12 प्रतिस्थापित।

[66][(1)] प्रत्येक मंडी समिति का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमे से ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निर्वाचित किया जाएगा और ऐसा निर्वाचन धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाए गए मंडी समिति के प्रथम सम्मिलन में किया जाएगा :

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब कि कि वह धारा 11-ख की उपधारा (2) और (3) के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्ह न हो।]

(2) अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा मंडी समितियों के लिए विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान उन मंडी समितियों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है, प्रबंध संचालक द्वारा विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन आरक्षित किए गए अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(5) राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा भिन्न-भिन्न मंडी समितियों के लिए विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

[67][(6)] [***]]

[68][(7)] यदि कोई मंडी समिति उपधारा (1) के अधीन, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में

---

[66] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 29 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 06-08-2012 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (1) निम्न प्रकार थी -

"(1) अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा जो कृषकों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित है, विहित रीति में चुना जाएगा :
परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब कि कि वह धारा - 11-ख की उपधारा (2) और (3) के अधीन निर्वाचित किएजाने के लिए अर्हित न हो।"

[67] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 29 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 06-08-2012 से) उपधारा (6) विलोपित। विलोपन के पूर्व उपधारा (6) निम्न प्रकार थी -

"(6) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।"

[68] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 29 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 06-08-2012 से) उपधारा (7) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (7) निम्न प्रकार थी -

"(7) यदि कोई मंडी क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिए नई निर्वाचन कार्यवाहियां छह मास के भीतर प्रारम्भ की जायेगी :
परंतु मंडी समिति के गठन की आगे और कार्यवाही अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान नहीं रोकी जायेगी :

असफल रहती है, तो उस पद को भरने के लिए मंडी समिति का सम्मिलन बुलाने के लिए कलक्टर द्वारा नए सिरे से एक माह के भीतर कार्यवाही की जाएगी :

परंतु इस कालावधि के दौरान, अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने तक मंडी समिति के गठन की कार्यवाहियाँ रोकी नहीं जाएगी :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।**]**

(8) मंडी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाये गए मंडी समिति के प्रथम सम्मिलन में मंडी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्हीं में से विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा :

परंतु यदि मंडी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो।

(9) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।**]**

धारा 12-क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना -

[69]**[**धारा 12-क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना -

(1) जहां कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि किसी मंडी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है या किसी मंडी समिति की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाना या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर वह मंडी समिति कृत्य कर रही हो, मंडी समिति के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसे स्थान में, जहां कि ऐसे अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हो या जहां कि उनका रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे तथा उसकी तलाशी ले और उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को सौंप दे।**]**

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।"

[69] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) धारा 12-क अंतःस्थापित।

धारा 13. प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति -

[70][धारा 13. प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति –

(1) मंडी समिति का प्रथम सम्मिलन [71][***] अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा।

(2) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मंडी समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगें :

[72][परन्तु यदि मंडी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मंडी समिति की अवधि में, ऐसा अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छह मास की कालावधि के लिए दो बार अर्थात् अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए वृद्धि कर सकेगी और यदि इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे।]

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय कलेक्टर को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र कलेक्टर द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, पंचायत या किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचित है, यदि वह मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है या इसके विपरीत निर्वाचित अर्थात मंडी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त निकायों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, तो वह लिखित में एक सूचना द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो [73][कलेक्टर] को ऐसी तारीख के या उसी तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख के, जिसको कि वह उस रूप में निर्वाचित हुआ है, तीस दिन के भीतर परिदत्त की जाएगी, यह प्रज्ञापित करेगा कि वह किस पद को धारण करना चाहता है और तदुपरि ऐसे अन्य निकाय में, जहां पद धारण नहीं करना चाहता है, वहां उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और पूर्व कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना देने में व्यतिक्रम करने पर, उस कालावधि के समाप्त होने पर, मंडी समिति में उसका स्थान रिक्त हो

---

[70] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 13 प्रतिस्थापित।

[71] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 29 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 06-08-2012 से) शब्दों "अध्यक्ष और" का लोप किया गया।

[72] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 12 सन् 2011 द्वारा (दिनांक 01-04-2011 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था -

> "(1) परंतु यदि मंडी समिति का अवसान हो जाने पर नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मंडी समिति की अवधि में वृद्धि ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुये छह मास की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और उस दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे।"

[73] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्दों "विहित प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

जाएगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसको हटाये जाने या उपधारा (4) के अधीन रिक्ति हो जाने या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दिशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा छह मास के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा :

परंतु यदि ऐसे पद की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्ति नहीं भरी जाएगी।

(6) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसको हटा दिये जाने या अन्यथा अध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाने की दशा में, उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित मंडी समिति का ऐसा सदस्य, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष सम्यक् रुप से निर्वाचित नहीं हो जाता।**]**

धारा 14. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -

[74]**[**धारा 14. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव –

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में प्रस्तुत किया जा सकेगा, और यदि ऐसा प्रस्ताव ऐसे बहुमत से, जो कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो, स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत तत्समय मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो यथास्थिति, ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके कि विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, उस तारीख से, जो उस तारीख के, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, ठीक पश्चात् की हो, अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए मंडी समिति का सम्मिलन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्-

(एक) सम्मिलन, तत्समय मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना प्राप्त होने पर, सचिव द्वारा, उस तारीख से, जिसको कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो, तीस दिन के भीतर बुलाया जाएगा;

(दो) खंड (एक) में वर्णित सूचना कलक्टर को भी संबोधित की जाएगी और साथ

[74] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 29 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 06.08.2012 से) धारा 14 एवं धारा 14-क अन्तः स्थापित।

ही साथ उसे परिदत्त भी की जाएगी और सचिव द्वारा खंड (एक) में उपबंधित किए गए अनुसार सम्मिलन बुलाने में चूक की जाने पर, सम्मिलन खंड (एक) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और इस उपधारा के उपबंध कलक्टर द्वारा बुलाए गए सम्मिलन को उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे सचिव द्वारा बुलाए गए सम्मिलन को लागू होते हैं;

(तीन) ऐसे सम्मिलन की सूचना में सम्मिलन का समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा वह सचिव द्वारा सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूरे दस दिन के पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी। सूचना की एक प्रति खंड (चार) में यथा अपेक्षित अधिकारी की नियुक्ति के लिए कलक्टर को भेजी जाएगी और एक प्रति प्रबंध संचालक को भी भेजी जाएगी; .

(चार) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे कि कलक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, तथापि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा ।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का कोई प्रस्ताव, --

(एक) उस तारीख से, जिसको कि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना-अपना पद धारण करते हों, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान हो जाता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर; और

(तीन) उस तारीख से, जिसको कि पूर्ववर्ती अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, पुनर्विचार के लिए एक वर्ष की कालावधि के भीतर,

नहीं लिया जाएगा।

धारा 14-क. अविश्वास का प्रस्ताव की विधिमान्यता का विनिश्चय -

यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, धारा 14 के अधीन लाए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता तो वह ऐसे प्रस्ताव के निपटारे के दिन से पंद्रह दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त को विहित रीति में विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा। आयुक्त, यथासंभव, उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, पैंतालीस दिन के भीतर उसका विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय - 4 : मंडी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य

धारा 15. मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति -

[75][धारा 15. मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति –

मंडी समिति सम्मिलन की प्रक्रिया तथा उसकी गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।]

धारा 16. अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा -

अध्यक्ष, और यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मंडी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी सम्मिलन में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो, तो सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे कि सम्मिलन द्वारा चुना जाये, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा।

धारा 17. मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य -

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये मंडी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह, -

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों को मंडी क्षेत्र में कार्यान्वित करे;

(ख) अधिसूचित कृषि उपज का उसमें (मंडी क्षेत्र में) विपणन करने के लिए ऐसी सुविधाओं का प्रबंध करना जैसा कि [76][प्रबंध संचालक] समय-समय पर निर्देश दे;

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना, जो कि मंडी के अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण के संबंध में या अधिसूचित कृषि-उपज का मंडी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन करने का विनियमन करने के लिए तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो और वह उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए जाएं।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडी समिति, -

[77][**(एक)** मंडी प्रांगणों तथा उपमंडी प्रांगण का सन्निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंध करेगी और मंडी क्षेत्र में हाट बाजारों के विकास का प्रोन्नयन करेगी;]

---

[75] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) धारा 15 प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व धारा 15 निम्न प्रकार थी
"15. **मंडी समिति के सम्मिलन आदि** - मंडी समिति के सम्मिलन, गणपूर्ति तथा प्रक्रिया विनियमन उस प्रयोजन के लिए बनाई गई उपविधियों के अनुसार किया जाएगा।"

[76] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[77] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (एक) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (एक) निम्न प्रकार था :
"(एक) मंडी प्रांगणों का अनुरक्षण करेगी तथा उनका प्रबंध करेगी।"

(दो) मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करेगी;

(तीन) मंडी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी;

(चार) मंडी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी;

(पांच) मंडी-प्रांगणों में व्यापार आरंभ करने, बंद करने तथा निलंबित करने का विनियमन करेगी;

(छः) अनुज्ञप्तियों की शर्तों को प्रवर्तित करेगी;

(सात) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित विक्रयों का करार करने, उसके कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन या रद्दकरण का, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित तौल, परिदान, भुगतान तथा समस्त अन्य विषयों का विनियमन करेगी;

(आठ) ऐसे समस्त विवादों को, जो कि अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार के संव्यवहार से विक्रेता तथा क्रेता के बीच उद्‌भूत हुये हों, तय करने के लिए तथा उससे अनुषक्त समस्त मामलों के लिए उपबंध करेगी;

(नौ) अधिसूचित कृषि-उपज के उत्पादन, विक्रय, भंडारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों तथा संचलन के संबंध में जानकारी संगृहीत करेगी तथा उसे बनाए रखेगी और ऐसी जानकारी को [78]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार प्रसारित करेगी;

(दस) माल में अपमिश्रण को रोकने के लिए तथा अधिसूचित कृषि उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के संप्रवर्तन के लिए समस्त संभव कार्यवाही करेगी;

(ग्यारह) मंडी में स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य के परे, कृषि उपज का क्रय न करे तथा उपज का व्ययन करने में विक्रेताओं को होने वाली जोखिम न रहे; और

(ख) क्रेताओं की हैसियत के अनुसार नगद या बैंक गारंटी के रुप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी;

(बारह) फीस तथा अन्य शोध्य प्रभारों से संबंधित समस्त धन, जिसे प्राप्त करने के

[78] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लिए मंडी समिति प्राधिकृत है, उद्ग्रहीत करेगी तथा वसूल करेगी;

(तेरह) (क) यह सुनिश्चित करेगी कि मंडी प्रांगण में या मूल मंडी में हुये संव्यवहारों के संबंध में भुगतान विक्रेता को उसी दिन किया जाए, और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रश्नगत कृषि उपज को तथा संबंधित व्यक्ति की अन्य संपत्ति को अभिग्रहीत करेगी तथा उसके पुनः विक्रय के लिए व्यवस्था करेगी और हानि होने की दशा में, उस हानि को तथा हानि, यदि कोई हो, की मूल क्रेता से वसूली करने संबंधी प्रभारों को मूल क्रेता से वसूल करेगी और कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को कराएगी;

(ख) तुलाई तथा हम्माली से संबंधित प्रभारों को वसूल करेगी और उन्हें तुलैयों तथा हम्मालों में वितरित करेगी;

(चौदह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित करेगी;

(पंद्रह) मंडी प्रांगण में व्यक्तियों के प्रवेश तथा गाड़ियों के यातायात का विनियमन करेगी;

(सोलह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और यदि आवश्यक हो तो ऐसे अपराधों का शमन करेगी;

(सत्रह) अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के प्रयोजन से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित करेगी, धारण करेगी तथा उसका व्ययन करेगी;

(अठारह) कोई वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन पत्र या माध्यस्थम् संस्थित करेगी या उसमें प्रतिरक्षा करेगी और ऐसे वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन पत्र या माध्यस्थम् में समझौता करेगी;

(उन्नीस) मंडी प्रांगण में किए गए संव्यवहारों के संबंध में माल के तोलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी :

परंतु इस खंड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किए जाने के लिए लागू नहीं होगी जो कि व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किए जाएं।

(3) [79]**[**प्रबंध संचालक**]** की पूर्व मंजूरी से, मंडी समिति, अपने विवेकानुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, -

[79] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[80][**(एक)** इस हेतु से कि कृषि उपज के परिवहन तथा भंडारकरण में सुविधा हो या इस प्रयोजन से कि मंडी प्रांगण का विकास हो, मंडी क्षेत्र में सड़कों या गोदामों के सन्निर्माण के लिए [81][बोर्ड या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग या उपक्रम] को या [82][प्रबंध संचालक] द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अभिकरण को अनुदान देना या अग्रिम निधि देना;]

[83][**(दो)** विक्रय हेतु उर्वरक, नाशक-जीवमार; (पेस्टीसाइड्स), कीटनाशक (इन्सेक्टिसाइड्स), उन्नत बीज, कृषि संबंधी उपस्करों और आधानों (इनपुट्स) का स्टॉक बनाए रखना;]

(तीन) कृषकों को, कृषि उपज का स्टॉक रखने के लिए [84][भंडारकरण सुविधाएं] भाटक पर देने की व्यवस्था करना:

[85][**(चार)** गौशाला या संस्थाओं के जो मध्यप्रदेश गौसेवा आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 18 सन् 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, अनुरक्षण के लिए अनुदान देना।]

(4) पूर्व में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त मंडी समिति निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी रहेगी -

(एक) अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों तथा किए गए भुगतानों पर उचित अंकुश बनाए रखना;

(दो) मंडी समिति की निधि पर भारित किए जा सकने वाले समस्त कार्यों का समुचित निष्पादन;

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं की और अपनी उपविधियों की एक-एक प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिए अपने कार्यालय में रखना; और

(चार) सांसर्गिक पशु रोग फैलने की रोकथाम के लिए निवारक उपायों की व्यवस्था करना।

(5) मंडी समिति किसी ऐसे भी निर्देश को कार्यान्वित करेगी जिसे कि राज्य सरकार मंडी प्रांगण में युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए समय-समय पर जारी करें।

(6) यदि मंडी समिति, उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन करने में चूक करे, तो राज्य सरकार को, मंडी समिति के

---

[80] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[81] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों "राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[82] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[83] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) अंतःस्थापित।
[84] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) शब्द "भांडागार पात्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[85] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) खंड (चार) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (चार) निम्न प्रकार था -
"(चार) उन गौशालाओं के, जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, अनुरक्षण के लिए अनुदान देना।"

खर्चे पर ऐसे निर्देश को प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होगी।

(7) यदि कोई समिति, किसी भी ऐसी राशि का, जिसकी कि रकम उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों के आधार पर नियत की गई हो या देय हो भुगतान करने में व्यतिक्रम करे, तो राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जिसके अभिरक्षा में मंडी समिति की निधि का अतिशेष हो, यह निर्देश देते हुए एक आदेश दे सकेगी कि वह ऐसी भुगतान या तो पूर्ण रूप से या ऐसे भाग में, जो ऐसी निधि में संभव हो, करे।

(8) मंडी समिति ऐसी समस्त जानकारी देगी जिसकी कि कलेक्टर या [86]**[**प्रबंध संचालक**]** या इनमें से किसी के भी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा हो।

धारा 18. उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन -

मंडी ऐसी शर्तो तथा निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाए, मंडी समिति, अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिए उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी उप समिति को अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हो ।

[86] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

धारा 19. मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति -

[87][(1)] प्रत्येक मंडी समिति, -

(एक) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर: और

(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लाई गई हो और [88][प्रसंस्करण या विनिर्माण] में उपयोग के लिए लाई गई हो,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम् पचास पैसे की दर के और अधिकतम् दो रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुये नियत की जाये, विहित रीति में मंडी फीस का उद्ग्रहण करेगी:

परंतु उस मंडी समिति को छोड़कर, जिसके मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या [89][प्रसंस्करण या विनिर्माण] हेतु लाई गई हो, कोई मंडी समिति ऐसी मंडी फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी।]

(2) मंडी-फीस अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जाएगी :

[90][परंतु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना न जा सके, वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मंडी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया हो :

परंतु यह और कि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मंडी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहीत की जाएगी तथा संदत्त की जाएगी:]

[91][परंतु यह और भी कि कृषि उपज पर, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, 31 मार्च 1990 तक कोई फीस उद्ग्रहित नहीं की जाएगी यदि ऐसी उपज किसी कृषक द्वारा किसी ऐसी सहकारी सोसायटी को, जिसका कि वह सदस्य है, मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण के बाहर बेची गई हो :]

---

87 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (1) निम्न प्रकार थी -

उपधारा (1) निम्न प्रकार थी- "(1) प्रत्येक मण्डी समिति, मंडी क्षेत्र में विक्रय के हेतु लाई गई या क्रय की गई या बेची गई अधिसूचित कृषि उपज पर ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर पचास पैसे की न्यूनतम दर या दो रुपये की अधिकतम दर के अध्यधीन रहते हुए नियत की जाए, फीस का उद्ग्रहण करेगी तथा उसका विहित रीति में संग्रहण करेगी:
परंतु उस मंडी समिति को छोड़कर, जिसके मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज यथास्थिति किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय हेतु लाई गई हो या क्रय की गई हो या बेची गई हो, कोई मंडी समिति ऐसी मंडी फीस उद्ग्रहीत नहीं करेगी।"

88 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

89 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

90 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त परंतुक निम्न प्रकार था -
"परंतु यदि अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना न जा सके तो समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी, जो कि उपज को मंडी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया हो।"

91 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) परंतुक अंतःस्थापित।

[92][परंतु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या [93][प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए] मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मंडी फीस, यथास्थिति, क्रेता या [94][प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता] द्वारा, उस दशा में मंडी समिति के कार्यालय में [95][चौदह दिन] के भीतर जमा की जाएगी, यदि क्रेता या [96][प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता] ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया है।]

[97][(3)] उपधारा (1) में निर्दिष्ट मंडी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर, -

(एक) राज्य में से एक से अधिक मंडी क्षेत्र में; या

(दो) उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार;

उस दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी जब कि उसका पुर्नविक्रय, -

(क) ऊपर (एक) की दशा में, उस मंडी क्षेत्र से, जिसमें वह यथास्थिति किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय हेतु लाई गई थी या क्रय की गई थी या बेची गई थी तथा उस पर उस मंडी क्षेत्र में फीस लग चुकी है, भिन्न मंडी क्षेत्र में, या

(ख) ऊपर (दो) की दशा में उस मंडी क्षेत्र में, व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहारों के अनुक्रम में या उपभोक्ताओं को किया जाता है, [98][बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो उपविधियों में विहित किया जाए, इस प्रभाव की सूचना दे दी गई हो] कि इस प्रकार पुनः बेची जा रही उस अधिसूचित कृषि-उपज पर राज्य के अन्य मंडी क्षेत्र में फीस पहले ही लग चुकी है।]

[99][(4)] यदि यह पाया जाए कि कोई अधिसूचित कृषि उपज ऐसी उपज पर देय मंडी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर [100][प्रसंस्कृत या विनिर्मित] की गई है, पुनः बेच दी गई है या बेच दी गई है तो मंडी फीस, यथास्थिति, [101][प्रसंस्कृत या विनिर्मित] उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पांच गुने के हिसाब से उद्ग्रहीत तथा

---

[92] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) परंतुक अंतःस्थापित।
[93] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[94] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[95] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 09-06-1998 से) शब्द "तीन दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[96] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[97] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (3) निम्न प्रकार थी -
"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई मंडी फीस किसी मंडी क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज पर एक बार से अधिक बार नहीं लगाई जाएगी, यदि वह उस मंडी क्षेत्र में किंतु मंडी प्रांगण के बाहर पुनः बेची जाए:
परंतु यदि किसी अधिसूचित कृषि उपज के कारबार का उसी मंडी प्रांगण के भीतर पुनः संव्यवहार किया जाए तो मंडी फीस, उसके लिए नियत सामान्य दर की आधी दर से प्रभारित की जाएगी और उसके पश्चात् ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के प्रत्येक पश्चात्वर्ती संव्यवहार के लिए उसके लिए नियत सामान्य दर के एक चौथाई दर से प्रभारित की जाएगी।"
[98] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्दों "बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इस प्रभाव की घोषणा दे दी गई हो," के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[99] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) उपधारा (4) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (4) निम्न प्रकार थी -
"(4) यदि यह पाया जाए कि कोई अधिसूचित कृषि उपज पर शोध्य मंडी फीस के भुगतान के बिना प्रसंस्कृत की गई है, मंडी फीस ऐसी उपज के प्रसंस्कृत उत्पादनों के दुगने बाजार मूल्य पर उद्गृहीत तथा वसूली की जाएगी।"
[100] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्कृत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[101] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्कृत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वसूल की जाएगी।]

(5) मंडी कृत्यकारी जिन्हें कि मंडी समिति, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करे विक्रय तथा क्रय या [102][प्रसंस्करण या विनिर्माण] से संबंधित लेखे ऐसे प्ररूपों में रखेगें तथा मंडी समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेगें जैसी कि विहित की जाए।

[103][(6)] कोई भी अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अनुसार ही यथास्थिति, मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं :

परंतु यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से अधिसूचित कृषि उपज के [104][प्रसंस्कृत या विनिर्मित] उत्पाद को हटाता है या उसका परिवहन करता है, तो ऐसा व्यक्ति मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 43 के अधीन जारी किए गए बिल या कैश मेमो अपने साथ रखेगा।]

(7) मंडी समिति, मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाली उन गाड़ियों पर, जो कि भाड़े, पर चलती हों, ऐसी दर से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए प्रवेश फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी।

[105][धारा 19-क. [विलोपित]]

धारा 19-ख. मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम -

[106][धारा 19-ख. मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम –

(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मंडी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे [107][प्रसंस्करण या विनिर्माण] के लिए मंडी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मंडी फीस तथा ब्याज का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मंडी क्षेत्र में या किसी अन्य मंडी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित मंडी फीस भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।]

धारा 20. लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश निरीक्षण तथा अभिग्रहण की

[102] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[103] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) अंतःस्थापित।
[104] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्कृत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[105] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) विलोपित।
[106] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1988 द्वारा (दिनांक 09-06-1988 से) प्रतिस्थापित।
[107] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

शक्तियाँ -

(1) [108][मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक] जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करता हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेज पेश करे और कोई ऐसी जानकारी दे जो ऐसी कृषि उपज के स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय, विक्रय तथा परिदान से संबंधित हो, तथा कोई ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मंडी फीस के संदाय से संबंधित हो।

(2) किसी अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए, समस्त लेखे तथा रजिस्टर और कृषि उपज के स्टॉकों से संबंधित या ऐसी कृषि उपज के क्रयों, विक्रयों तथा परिदानों से संबंधित दस्तावेजें, जो उसके कब्जे में हों, और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनाएं, गोदाम, जलयान या गाड़ियां, बोर्ड या मंडी समिति के ऐसे अधिकारियों या सेवकों के द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाएं, निरीक्षित की जाने / किए जाने के लिए समस्त युक्तियुक्त समयों पर खुली रहेगी / खुले रहेगें।

(3) यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मंडी फीस के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मंडी क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम या नियमों के या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय किया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज, जैसे कि आवश्यक हों, अभिग्रहीत कर सकेगा तथा उनके लिए एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हों।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी या सेवक किसी भी कारबार के स्थान, भण्डागार, कार्यालय स्थापना, गोदाम, जलयान या गाड़ी में, जिसके कि संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें ऐसा व्यक्ति अपने कारबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें या अपने कारबार से संबंध रखने वाली अधिसूचित कृषि उपज के स्टाक रखता है या तत्समय रखे है / प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 102 तथा 103 के उपबंध यथाशक्य उपधारा (4) के अधीन तलाशी को लागू होंगे।

(6) जहां कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें किसी स्थान से अभिग्रहीत की जाएं और उनमें ऐसी प्रविष्टियां हों जो परिमाण भावों; (कुटेशन्स) दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान

[108] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों "बोर्ड या मंडी समिति का कोई भी अधिकारी या सेवक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

या माल के विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करती हों, वहां ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें, उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के उपसंजात हुये बिना ही, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी प्रविष्टियां उन मामलों में, संव्यवहारों तथा लेखाओं की, जिनका कि उनमें अभिलिखित होना तात्पर्यित है, प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होंगी।

धारा 21. सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण -

[109][धारा 21. सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण –

(1) प्रत्येक व्यापारी, [110][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता] या आढ़तिया, जो अधिसूचित कृषि उपज का कारबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गए क्रय या विक्रय का एक विवरण सचिव को विहित रीति में प्रस्तुत करेगा।

(2) सचिव की कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको सूचना के संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर मंडी समिति को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार को दिए गए आवेदन पर, [111][उस विवरण को, जो सचिव द्वारा सत्यापित किया गया सत्यापन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, पुनः सत्यापित कर सकेगा] और ऐसा अधिकारी इस प्रयोजन के लिए धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसे लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने में असफल रहता है या जानते हुए अपूर्ण या असत्य लेखे या जानकारी देता है या जिसने अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय तथा परिदान के उचित लेखें नहीं रखे है तो सचिव, विहित रीति में ऐसे व्यक्ति पर धारा 19 के अधीन उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगा।

(5) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा सशक्त किए गए अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन या पुनः निर्धारण अन्तिम होगा।]

धारा 22. मंडी प्रांगण में हुये अधिक्रमण को हटाने की शक्ति -

[112][सचिव को, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये, जो मंडी समिति इस संबंध में दे], मंडी प्रांगण में के किसी खुले स्थान में हुए किसी अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने के व्यय उस व्यक्ति द्वारा चुकाये जाएंगे, जिसने कि उक्त अधिक्रमण कारित किया है, और वे उसी रीति से वसूल किए जाएंगे जिस रीति में कि मंडी समिति को शोध्य

---

[109] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) प्रतिस्थापित।
[110] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[111] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) प्रतिस्थापित।
[112] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्दों "बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक को, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

कोई भी राशि धारा 61 के अधीन वसूली के योग्य होती है।

धारा 23. गाड़ियों को रोकने की शक्ति -

[113][धारा 23. गाड़ियों को रोकने की शक्ति –

(1) किसी भी समय, जबकि,

[114][**(एक)** बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक या किसी शासकीय अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे बोर्ड या कलक्टर द्वारा किसी मंडी क्षेत्र में, इस निमित्त सशक्त किया गया हो, या]

(दो) संबंधित मंडी क्षेत्र में, की [115][राज्य मंडी बोर्ड सेवा] के किसी सदस्य द्वारा;

(तीन) मंडी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे मंडी समिति द्वारा संबंधित मंडी क्षेत्र में इस संबंध में सशक्त किया गया हो।

ऐसी अपेक्षा की जाए तो यथास्थिति किसी भी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का चालक या उसका भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को रोक देगा और उसे उतने समय तक खड़ा रखेगा जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे व्यक्तियों को ऐसी गाड़ी जलयान या अन्य वाहन में की अर्न्तवस्तुओं की परीक्षा करने देगा और ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा, और अपना नाम और पता तथा उसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन के स्वामी का नाम और पता और ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि उपज के स्वामी का नाम और पता देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सशक्त किए गए व्यक्तियों को किसी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज को, जो किसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में मंडी क्षेत्र के भीतर लाई गई है या मंडी क्षेत्र से बाहर ले जाई गई है या जिसका मंडी क्षेत्र से बाहर ले जाया जाना प्रस्तावित है, अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी, यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी उपज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी फीस या अन्य रकम का या विक्रेता को संदेय मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किए गए किसी व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन उससे शोध्य किसी मंडी फीस के भुगतान से बचने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या भंडारण इस अधिनियम के या नियमों के या मंडी क्षेत्र में प्रवृत्त उपविधियों के उपबंधों में से किसी उपबंध के उल्लंघन में किया है, तो वह

---

[113] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित।
[114] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) खंड (एक) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (एक) निम्न प्रकार था ; "(एक) बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे बोर्ड द्वारा किसी मंडी क्षेत्र में इस निमित्त सशक्त किया गया हो; या।"
[115] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों "राज्य विपणन सेवा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

किसी भी ऐसे कारबार के स्थान, भांडागार, कार्यालय, स्थापन या गोदाम में, जिसके बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसे कि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति वहां अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रखता है या ऐसे व्यक्ति ने अधिसूचित कृषि- उपज का स्टॉक तत्समय रख रखा है, प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा [116][और भंडार में रखी कृषि उपज को अभिग्रहीत कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहित की गई कृषि उपज मंडी समिति के पक्ष में ऐसी रीति में जैसी कि इस प्रयोजन के लिए विहित की जाए, अधिहृत की जा सकेगी :]

[117][परंतु कृषि उपज का अधिहरण करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।]

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 100, 457, 458 और 459 के उपबन्ध उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और संपत्ति के अभिग्रहण के संबंध में लागू होते है। ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल की जाएगी।

धारा 24. उधार लेने की शक्ति -

[118][धारा 24. उधार लेने की शक्ति –

कोई मंडी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से या किसी अन्य लोक वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और धारा 38 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस प्रकार उधार लिए गए धन को लागू नहीं होगी।]

धारा 25. संविदाएँ करने की रीति -

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर संपत्ति में के हित के क्रय, विक्रय, पट्टे, बंधक या अन्य अंतरण के लिए या स्थावर संपत्ति में के हित के अर्जन के लिए मंडी समिति की ओर से कोई भी संविदा या करार मंडी समिति की मंजूरी से ही निष्पादित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, -

(क) मंडी समिति का सचिव ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके कि बारे में वह संविदा या करार करने के लिए मंडी समिति के संकल्प द्वारा साधारणतः या

---

[116] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्दों "और भंडार में रखी कृषि उपज को अधिगृहीत कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[117] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) परंतुक अंतःस्थापित।

[118] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व धारा निम्न प्रकार थी -
"24. उधार लेने की शक्ति - मंडी समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित धन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से बोर्ड या अन्य किसी अभिकरण से उधार ले सकेगी।"

विशेषतः प्राधिकृत किया गया हो, मंडी समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा जहां कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य [119][एक हजार] रुपये से अधिक न हो;

(ख) मंडी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा या करार संयुक्त रूप से निष्पादित कर सकेंगे जहां कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य [120][पांच हजार] रुपये से अधिक न हो;

(ग) खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट किए गए मामलों से भिन्न किसी मामलें में, मंडी समिति की ओर से कोई संविदा या करार मंडी समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा उसके एक अन्य सदस्य, जो कि संविदा या करार करने के लिए मंडी समिति के संकल्प द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(3) मंडी समिति द्वारा की गयी प्रत्येक संविदा लिखित में होगी तथा वह मंडी समिति की ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जो कि उपधारा (2) के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए हों।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में उपबंधित किए गए अनुसार निष्पादित की गई संविदा से भिन्न कोई भी संविदा वैध या मंडी समिति पर आबद्धकर नहीं होगी।

(5) **(क)** भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी मंडी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या अधिकारी या सचिव के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपनी पदीय हैसियत में अपने द्वारा निष्पादित की गई किसी लिखित के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उप-संजात हो या उस अधिनियम की धारा 58 में उपबंधित किए गए अनुसार हस्ताक्षर करे।

(ख) जहां कोई लिखत इस प्रकार निष्पादित की गई हो वहां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे कि ऐसी लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की गयी हो, यदि वह उचित समझे, ऐसे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सचिव को यह निर्दिष्ट करेगा कि वह उस लिखत के बारे में जानकारी दे और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके (लिखत के) निष्पादन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(6) जहां कोई संविदा या करार किसी मंडी समिति की ओर से किया गया हो, वहां मंडी समिति का सचिव उस तथ्य की रिपोर्ट मंडी समिति को उसके उस सम्मिलन में देगा जो ऐसी संविदा या करार के किए जाने की तारीख से अव्यवहित पश्चात् बुलाया गया हो तथा किया गया हो।

---

[119] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[120] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्द "एक हजार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय - 4क : बजट

धारा 25-क. बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना -

[121][(1) प्रबंध संचालक, मंडी समितियों को ऐसे मानकों पर जैसे कि विहित किए जाएं, या तो क, ख, ग या घ प्रवर्ग में वर्गीकृत करेगा। समस्त मंडी समितियां आगामी वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अपना बजट, बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल के पूर्व तैयार करेगी एवं उसे पारित करेगी:

परंतु क तथा ख प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत मंडी समितियों का बजट प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया जाएगा।]

(2) यदि मंजूर किए गए बजट में किसी मद पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान न हो तो जब तक कि किसी अन्य शीर्ष की बचत में से पुनर्विनियोग द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस मद पर किसी मंडी समिति द्वारा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

(3) मंडी समिति उस वर्ष के दौरान, जिसके कि लिए कोई बजट मंजूर किया जा चुका हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित या पूरक बजट उसी रीति में पारित करवा सकेगी तथा मंजूर करवा सकेगी मानो कि वह मूल बजट हो।

[122][(4) मंडी समिति उपधारा (6) में निर्दिष्ट स्थायी निधि से भिन्न अपनी निधि में से सन्निर्माण संकर्मों की मंजूरी दे सकेगी और ऐसे कार्य का निष्पादन मंडी समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा डिजाईन के आधार पर ऐसी रीति में करा सकेगी, जैसी बोर्ड द्वारा विहित की जाए;

(5) सन्निर्माण संकर्मों के निष्पादन के लिए बोर्ड या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग को या उपक्रम को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाये, सौंपा जा सकेगा।]

[123][(6) मंडी समिति अपनी सकल प्राप्तियों के, जिनमें अनुज्ञप्ति फीस और मंडी फीस समाविष्ट है, बीस प्रतिशत की दर से रकम स्थायी निधि में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में करेगी। स्थायी निधि में से कोई भी व्यय, [124][प्रबंध संचालक] के पूर्व अनुमोदन से या उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उपगत किया जाएगा अन्यथा नहीं। इस निधि में से या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित अधिशेष रकम में से कोई भी व्यय धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।]

अध्याय - 5 : [125][राज्य मंडी बोर्ड सेवा]

[121] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित।
[122] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) उपधारा (4) और (5) प्रतिस्थापित।
[123] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[124] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[125] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्दों "मंडी समिति के कर्मचारीवृंद" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

धारा 26. राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन -

[126][धारा 26. राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन –

(1) बोर्ड तथा मंडी समितियों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे राज्य मंडी बोर्ड सेवा कहा जाएगा;

(2) बोर्ड, राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी वेतन, कार्यकारी भत्ता, उधार, पेंशन, उपदान (ग्रैच्युटी), वार्षिकी (एन्युटी), अनुकंपा निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, हटाए जाने, आचरण, विभागीय जांच, दंड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाएगा;

(3) राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्यों को, जो मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं, दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय मंडी समिति निधि पर भार होंगे;

(4) किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए या आमेलित किए गए ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो उपधारा (1) के अधीन राज्य मंडी बोर्ड सेवा के गठन के अव्यवहित पूर्व राज्य विपणन सेवा, बोर्ड सेवा के सदस्य थे और मंडी समिति सेवा के नाकेदार (सहायक उपनिरीक्षक) राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जाएंगे।]

धारा 27. सचिव और अन्य अधिकारी -

[127][धारा 27. सचिव और अन्य अधिकारी –

(1) प्रत्येक मंडी समिति में एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे [128][जो राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य होंगे या जो राज्य सरकार या शासकीय सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं के ऐसे सदस्य हों, जिनकी सेवाएं बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त की गई हो] :

परंतु एक से अधिक मंडी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सचिव, मंडी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी होगा और उस मंडी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे।

---

[126] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 26 प्रतिस्थापित।

[127] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 27 प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व धारा निम्न प्रकार थी -
"27. सचिव और अन्य अधिकारी -
(1) प्रत्येक मंडी समिति का एक सचिव होगा, जो राज्य विपणन सेवा का सदस्य होगा और उसकी नियुक्ति संचालक द्वारा की जाएगी। सचिव, मंडी समिति का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा तथा मंडी समिति के अन्य अधिकारी तथा सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।"

[128] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 31 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) शब्दों "जो राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य होंगे" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) सचिव, मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा और मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा।**]**

[129][धारा 28. [विलोपित]]

[130][धारा 29. [विलोपित]]

धारा 30. कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति -

(1) प्रत्येक मंडी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो ;

परंतु किसी भी पद का सृजन [131]**[**प्रबंध संचालक**]** की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) मंडी समिति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति, वेतन, छुटटी, छुटटी भत्ते, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि में अभिदाय तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा उनको शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपलब्ध करने के हेतु उपविधियां बना सकेगी।

[132]**[(3)** इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, [133]**[**प्रबंध संचालक**]**, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, किसी मंडी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक को, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रुपये से अधिक हो, उस राजस्व संभाग की किसी अन्य मंडी समिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर सकेगा और [134]**[**प्रबंध संचालक**]** के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण का आदेश पारित करने के पूर्व, संबंधित मंडी समिति से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करे।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्थानांतरित किया गया संबंधित अधिकारी या सेवक, -

(क) मूल मंडी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा;

(ख) ऐसे वेतन या भत्तों के संबंध में, जिनके कि लिए वह मूल मंडी समिति में बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा;

---

[129] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) धारा 28 विलोपित। विलोपन के पूर्व धारा निम्न प्रकार थी -
"28. राज्य विपणन सेवा के अन्य अधिकारी- प्रत्येक मंडी समिति के लिए अन्य अधिकारी जैसे कि राज्य सरकार अवधारित करे, होंगे जो कि राज्य विपणन सेवा के सदस्य होंगे और वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे परंतु एक अधिकारी एक से अधिक मंडी समितियों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।"

[130] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) धारा 29 विलोपित। विलोपन के पूर्व धारा निम्न प्रकार थी -
"29. राज्य विपणन सेवा का गठन होने तक के लिए सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति - धारा 26 के अधीन राज्य विपणन सेवा का गठन होने तक के लिए या जबकि ऐसी सेवा का कोई सदस्य धारा 27 या 28 के अधीन सचिव या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपलब्ध न हो तो राज्य सरकार, सरकार के किसी अधिकारी को सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी।"

[131] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[132] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।

[133] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[134] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा जैसा कि [135][प्रबंध संचालक], साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ;

(घ) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तो द्वारा, जिनके अंतर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, शासित होगा जैसी कि [136][प्रबंध संचालक], साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

---

[135] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[136] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय - 6 : व्यापार का विनियमन

धारा 31. मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन -

कोई भी व्यक्ति, किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में मंडी क्षेत्र में, आढ़तिया, व्यापारी, दलाल, तुलैया, हम्माल, सर्वेक्षण, [137][***], प्रसंस्करण के या [138][विनिर्माण] के कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

धारा 32. अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति -

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति को मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए मंडी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जैसी कि [139][प्रबंध संचालक], विहित की गयी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(3) मंडी समिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगी;

[140][परंतु यदि मंडी समिति, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने में चूक करती है तो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञप्ति यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है:]

[141][परंतु यह और भी कि यदि किसी आवेदक के विरुद्ध मंडी समिति के शोध्य, जिनके अंतर्गत मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते हैं, बकाया है तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि कोई भी अनुज्ञप्ति किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जाएगी।]

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गयी या नवीकृत की गयी समस्त अनुज्ञप्तियां इस

---

[137] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2016 द्वारा (दिनांक 15-01-2016 से) शब्द "भांडागारिक" विलोपित।
[138] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27-01-2012 से) शब्द "दबाने" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[139] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[140] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) परंतुक प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था -
"परंतु यदि मंडी समिति, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छ सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या उक्त तारीख से एक पखवाड़े के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने में चूक करती है तो यह समझा जाएगा कि यथास्थिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर दी गई है या नवीकरण कर दिया गया है।"
[141] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) परंतुक अंतःस्थापित।

अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

[142][(5) कोई आढ़तिया या दलाल या दोनों, कृषक-विक्रेता या व्यापारी-क्रेता के बीच के किसी संव्यवहार में, कृषक-विक्रेता की ओर से न तो कोई कार्य करेगा और न ही वह कमीशन या दलाली के मद्दे कोई रकम, कृषक-विक्रेता को देय विक्रय आगम में से काटेगा।]

धारा 32-क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति -

[143][धारा 32-क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति –

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/ अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तो पर, जैसी कि नियमों में विहित की जाएं, आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होंगी।]

धारा 33. अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति -

(1) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मंडी समिति, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेंगी, -

(क) यदि अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या उसकी (अनुज्ञप्तिधारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों या शर्तो में से किसी भी निबंधन या शर्त को भंग करता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण/ प्रांगणों में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मंडी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो गया हो;

---

[142] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 26 सन् 1987 द्वारा (दिनांक 21-07-1987 से) अंतःस्थापित।
[143] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) अंतःस्थापित।

(घ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया हो;

(ङ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाये, उपगत कर ले; या

(च) यदि अनुज्ञप्ति का धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाए।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष, किसी अनुज्ञप्ति को, किसी ऐसे कारण से, जिस कारण से, कि कोई मंडी समिति किसी अनुज्ञप्ति को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक मास से अनधिक कालावधि के लिए, लिखत में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, निलंबित कर सकेगा;

परंतु ऐसा आदेश उसके किए जाने की तारीख से [144]**[**दस दिन**]** की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा। यदि ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मंडी समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, [145]**[**प्रबंध संचालक**]** लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी भी अनुज्ञप्ति को, जो कि मंडी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकेगा;

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश, मंडी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित या रद्द नहीं की जाएगी, जब तक कि उसके धारक को ऐसे निलंबित या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

धारा 34. अपील -

(1) अध्यक्ष, मंडी समिति या [146]**[**प्रबंध संचालक**]** के किसी आदेश द्वारा, जो कि यथास्थिति [147]**[**धारा 32 या धारा 33**]** के अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति, -

(क) जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो, वहां मंडी समिति को;

(ख) जहां ऐसा आदेश मंडी समिति द्वारा पारित किया गया हो, वहां [148]**[**प्रबंध संचालक**]** को और;

---

[144] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) शब्द "सात दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[145] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[146] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[147] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 07-06-1997 से) शब्द और अंक "धारा 32" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[148] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) जहां ऐसा आदेश [149]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा पारित किया गया हो, वहां राज्य सरकार को;

अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील,

(एक) जहां ऐसी अपील अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर और;

(दो) जहां ऐसी अपील मंडी समिति या [150]**[**प्रबंध संचालक**]** के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर;

ऐसी रीति में, जैसी कि [151]**[विलोपित]** विहित की जाए, की जाएगी।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) अध्यक्ष, मंडी समिति तथा [152]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा पारित किया गया आदेश उस धारा के अधीन अपील में दिये गए आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

धारा 35. इस अधिनियम के अधीन विहित की गयी व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध -

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित की गयी छूट से भिन्न कोई भी व्यापारिक छूट अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में किसी भी संव्यवहार में किसी भी मंडी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो दी जाएगी अथवा न वसूल की जाएगी और कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे संव्यवहार से उद्‌भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी ऐसी व्यापारिक छूट पर, जो कि इस प्रकार विहित न की गयी हो, ध्यान नहीं देगा।

(2) किसी पात्र के वजन का उसी प्रकार के पात्र से धड़ा किया जाएगा तथा पात्र के वजन का धड़ा करने के लिए किसी भी रूप में कोई भी कटौती नहीं करने दी जाएगी।

धारा 36. अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में विक्रय -

[153]**[(1)** मूल मंडी में विक्रय के लिए लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी उपज के लिए विनिर्दिष्ट किए गए मंडी प्रांगण/प्रांगणों में या उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी ;**]**

---

[149] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[150] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[151] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 07-06-1997 से) शब्द "उपविधियों द्वारा" विलोपित।
[152] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[153] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 9 सन् 2002 द्वारा (दिनांक 20-06-2002 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित।

[154][परंतु संविदा खेती के अधीन उत्पादित की गई कृषि उपज को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रीत किया जाएगा जो करार के अधीन उसे क्रय करने के लिए सहमत है।]

(2) ऐसी अधिसूचित कृषि उपज, जो वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर से क्रय की जाए, मंडी क्षेत्र में कहीं भी उपविधियों के उपबंधों के अनुसार लाई तथा बेची जा सकेगी।

(3) मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत निविदा बोली या खुले नीलाम पद्धति द्वारा तय की जाएगी तथा तय हुए मूल्य में किसी भी कारण से कोई कटौती नहीं की जाएगी :

[155][परंतु मंडी प्रांगण में ऐसी कृषि उपज की, जिसके लिए कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी, जो इस प्रकार घोषित की गई है और मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी।]

(4) [156][इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल या माप ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसी कि उपविधियों में उपबंधित की जाए] या मंडी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य स्थान पर की जाएगी :

परंतु केला, पपीता या किसी ऐसी अन्य विनश्वर कृषि उपज की, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति तौल, माप या गणना किसी अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां ऐसी उपज उगाई गई हो।

धारा 37. क्रय तथा विक्रय की शर्तें -

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में करार ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, निष्पादित करेगा। करार की एक प्रति क्रेता के द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी तथा शेष प्रति मंडी समिति के अभिलेख में रखी जाएगी।

[157][(2) **(क)** मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाएगा;

(ख) यदि क्रेता खंड (क) के अधीन भुगतान नहीं करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा;

---

[154] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) परंतुक अंतःस्थापित।
[155] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित।
[156] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 31 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) शब्दों "इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि की तौल या माप किसी अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा मंडी प्रांगण में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[157] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त उपधारा निम्न प्रकार थी -
"(2) मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का विक्रेता को चौबीस घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा।"

(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खंड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पांच दिन के भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवें दिन को रद्द कर दी गई समझी जायगी और उसे या उसके नातेदार को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण -

इस खंड के प्रयोजन की लिए "नातेदार" से अभिप्रेत है ऐसा नातेदार जैसा कि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट है।**]**

(3) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादकों के साथ अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा ऐसी उपज का कोई भी थोक संव्यवहार [158]**[**मंडी प्रांगण या उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे स्थान में के सिवाय**]** सीधे नहीं किया जाएगा।

(4) आढ़तिया केवल अपने नियोक्ता [159]**[**व्यापारी**]** से ही ऐसी दरों से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना कमीशन वसूल कर सकेगा, जिस कमीशन के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो उपज के भंडारकरण के संबंध में तथा उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के संबंध में उसके द्वारा उपगत किए जाएं।

(5) प्रत्येक आढ़तिया इस बात के लिए दायी होगा कि वह, -

(क) अपने को देय कमीशन से भिन्न किसी प्रभार के बिना अपने नियोक्ता का माल सुरक्षित अभिरक्षा में रखें**;** और

(ख) ज्योंही माल बिक जाए, उसकी कीमत का भुगतान अपने नियोक्ता को कर दे चाहे उसने ऐसी माल के क्रेता से कीमत प्राप्त की हो या न प्राप्त की हो।

धारा 37-क. संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन -

[160]**[**धारा 37-क. संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन –

(1) संविदा खेती, संविदा खेती के कृषि उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच किसी लिखित करार के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी जैसी कि उपविधियों में विहित की जाए। संविदा खेती के लिए निष्पादित किया जाने वाला करार ऐसे प्ररूप में होगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां, निबंधन तथा शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाएं।

स्पष्टीकरण :- (1) इस धारा के प्रयोजन के लिए "उत्पादक और क्रेता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज क्रमशः उत्पादित और क्रय करता है।

---

[158] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 9 सन् 2002 द्वारा (दिनांक 20-06-2002 से) शब्दों "मंडी प्रांगण में के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[159] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[160] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) धारा 37-क अंतःस्थापित।

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। मंडी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए, रजिस्टर करेगी।

(3) यदि करार के उपबंधों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मंडी समिति का अध्यक्ष पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बाहर, क्रेता को विक्रीत की जाएगी जैसा कि उपविधियों द्वारा विहित किया जाए। कृषि उपज के क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए।**]**

अध्याय - 7 : मंडी समिति निधि

धारा 38. मंडी समिति निधि -

(1) मंडी समिति द्वारा प्राप्त हुए समस्त धन एक निधि में जो "मंडी समिति निधि" कहलाएगी, संदत्त किए जाएंगे और मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए उपगत किए गए समस्त व्यय उक्त निधि में से चुकाये जाएंगे। ऐसे व्यय की पूर्ति किए जाने के पश्चात् मंडी समिति के पास बचा हुआ कोई अधिशेष ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, विनिहित किया जाएगा;

परंतु समस्त ऐसी धनराशियाँ, जो प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के प्रति किए गए अभिदायों के रूप में या किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में भुगतान के लिए या तुलैया, हम्माल तथा अन्य कृत्यकारियों को देय प्रभारों के लिए मंडी समिति द्वारा प्राप्त की गयी हो, मंडी समिति निधि का भाग नहीं होंगी किंतु उनका लेखांकन अलग से किया जाएगा।

[161][(2) मंडी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट की गयी अन्य राशियाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएगी।]

धारा 39. मंडी समिति निधि का उपयोजन -

धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मंडी समिति निधि केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय की जा सकेगी, अर्थात्, --

(एक) मंडी प्रांगणों के लिए स्थान या स्थानों का अर्जन;

(दो) मंडी प्रांगणों का अनुरक्षण एवं सुधार;

(तीन) मंडी के प्रयोजनों के लिए तथा मंडी प्रांगणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत;

(चार) मानक बांटों तथा मापों को बनाए रखना;

(पांच) स्थापना संबंधी प्रभारों की पूर्ति जिनके अंतर्गत उन अधिकारियों तथा सेवकों के, जो कि मंडी समिति द्वारा नियोजित किए गए हों, भविष्य निधि, पेंशन तथा उपादान लेखे किए जाने वाले भुगतान तथा अभिदाय भी आते है;

---

[161] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2016 द्वारा (दिनांक 15-01-2016 से) उपधारा (2) प्रतिस्थापित; प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (2) निम्न प्रकार थी :

"(2) मंडी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट की गयी अन्य राशियाँ किसी सहकारी बैंक में या यदि मंडी समिति के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन्, 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जाएगी।"

(छः) उन उधारों पर जो मंडी के प्रयोजन के हेतु लिए जाएं, ब्याज का भुगतान तथा ऐसे उधारों के संबंध में निक्षेप-निधि की व्यवस्था;

(सात) फसल संबंधी आंकड़ों तथा कृषि उपज के विपणन की जानकारी का संग्रहीत किया जाना तथा प्रसारित किया जाना;

(आठ) **(क)** मंडी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा करने में उपगत किए गए व्यय;

(ख) अध्यक्ष को मानदेय, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं सम्मिलन में हाजिर होने के लिए सदस्य को देय बैठक फीस का भुगतान;

(ग) राज्य विपणन विकास निधि के प्रति अभिदाय;

(घ) राज्य सरकार के आदेश को कार्यान्वित करने लिए तथा किसी अन्य अधिनियम के अधीन मंडी समिति को न्यस्त किए गए किसी अन्य कार्य के लिए किसी व्यय की पूर्ति;

(ङ) कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा वैज्ञानिक भंडारकरण के लिए किसी स्कीम के प्रति अभिदाय;

[162]**[(च)** विहित रीति में मंडी क्षेत्र के विकास के लिए;

(छ) प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति से उत्पादन की वृद्धि के लिए लोगों को शिक्षित करने या उसके प्रोन्नयन के लिए तथा कृषि आधानों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) के विक्रय का कार्य हाथ में लेना;

(छछ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों के विकास का कार्य हाथ में लेना;**]**

[163]**[(ज)** इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर व्ययों का भुगतान;**]**

(नौ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, कोई अन्य प्रयोजन, जिस पर मंडी समिति निधि में से किया जाने वाला व्यय लोक हित में हो।

अध्याय - 8 : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

धारा 40. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड -

[162] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (च), (छ), (छछ) प्रतिस्थापित।
[163] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।

(1) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलाएगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी संपत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिए तथा संविदा करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिए सक्षम होगा।

धारा 40-क. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति -

[164]**[**धारा 40-क. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, बोर्ड तथा मंडी समितियों को निदेश दे सकेगी।

(2) बोर्ड तथा मंडी समितियां, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगी।**]**

धारा 41. बोर्ड का गठन -

[165]**[**धारा 41. बोर्ड का गठन -

(1) राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

क- पदेन सदस्य

(क) मंत्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश, का भारसाधक हो;

(ख) सचिव / विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ, मध्यप्रदेश;

(घ) कृषि संचालक, मध्यप्रदेश;

(ङ) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक;

ख- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

(च) मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए गए हों;

---

[164] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) अंतःस्थापित।
[165] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।

(छ) मंडी समितियों के दस अध्यक्ष, जिनमें किसी भी एक राजस्व आयुक्त संभाग में से एक से अधिक नहीं होगा;

(ज) राज्य के भीतर की किसी भी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(झ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक;

[166]**[(ञ)** कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ;**]**

[167]**[(ट)** ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि, जो राज्य के भीतर की किसी मंडी समिति से तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किए हुए हो :

परंतु धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मंडी समिति की दशा में, ऐसी मंडी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी।**]**

(2) मंत्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किए गए पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।**]**

[168]**[(3)** यदि अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अंतरिम व्यवस्था करेगी।**]**

धारा 42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि -

[169]**[**धारा 42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि -

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड का उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

परंतु उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

(2) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि जैसे ही वह उस पद पर न रह जाय जिसके कि आधार पर वह नामनिर्देशन किया गया हो, समाप्त हो जाएगी।

---

[166] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (ञ) अंतःस्थापित।
[167] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 25 सन् 2010 द्वारा (दिनांक 16-09-2010 से) खंड (ट) अंतःस्थापित।
[168] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) उपधारा (3) अंतःस्थापित।
[169] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।

(3) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि का अवसान होने के पूर्व हटा सकेगी किंतु ऐसा करने के पूर्व वह हटाये जाने के विरुद्ध उसे कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

धारा 42-क. उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग -

(1) उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका पद, ऐसे त्याग-पत्र की तारीख से पूरे पंद्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जायगा, जबकि वह उक्त पंद्रह दिन की कालावधि के भीतर अपना त्याग-पत्र लिखित में वापस न ले लें।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके निरर्हित हो जाने या उसको हटा दिये जाने की दशा में यह समझा जायगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन करके भरी जाएगी। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवासित अवधि तक के लिए धारण करेगा।

धारा 42-ख. बोर्ड के सदस्यों को भत्ते -

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि से उसके (बोर्ड के) सम्मिलनों में हाजिर होने के लिए या किसी अन्य कार्य को करने के लिए ऐसी बैठक फीस तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाएं।

धारा 42-ग. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता -

कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, -

(क) जो न्याय निर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय न्याय निर्णीत दिवालिया रहा है; या

(ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो विकृत चित्त का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित किया गया है; या

(घ) जो किसी ऐसी कंपनी या फर्म का संचालक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी कि बोर्ड या किसी मंडी समिति के साथ कोई संविदा है; या

(ङ) जो धारा 58 के अधीन दोषी है, या किसी भी समय दोषी पाया गया है; या

(च) जिसने सदस्य की हैसियत से अपने पद का राज्य सरकार की राय में इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जिससे बोर्ड में उसका बना रहना जन-साधारण के हितों के लिए अपायकर हो जाता है।

धारा 42-घ. प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति -

[170]**[**धारा 42-घ. प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति -

(1) बोर्ड का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा।

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध संचालक में निहित होगा।**]**

धारा 42-ङ. उपसमितियों की नियुक्ति -

बोर्ड, अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन के लिए या उससे अनुषंगिक किसी विषय पर सलाह देने के लिए उप-समितियां नियुक्त कर सकेगा जिनमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक को सम्मिलित करते हुये उसके तीन या तीन से अधिक सदस्य होंगे और इन उप-समितियों में से किसी भी उप–समिति को अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से कोई भी कर्तव्य या कृत्य, जो कि आवश्यक समझा जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।**]**

धारा 43. राज्य विपणन विकास निधि -

[171]**[(1)** प्रत्येक मंडी समिति, बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों का, जिनमें अनुज्ञप्ति फीस तथा मंडी फीस समाविष्ट है, ऐसा प्रतिशत, जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय समय पर घोषित करे, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक भुगतान करेगी, इस प्रकार भुगतान की गई तथा संग्रहीत की गई रकम "मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि' कहलाएगी।**]**

(2) वे समस्त व्यय, जो कि बोर्ड ने अपने द्वारा मंजूर किए गए बजट के अनुसार उपगत किए हों, उक्त निधि में से चुकाये जाएंगे।

[172]**[(3)** बोर्ड के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र [173]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा तैयार किए जाएंगे और बोर्ड को किसी भी स्त्रोत से प्रोद्भूत होने वाले या उसके द्वारा प्राप्त किए

[170] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) धारा 42-घ प्रतिस्थापित।
[171] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित।
[172] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।
[173] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

गए समस्त धन तथा संवितरित या संदत्त की गई समस्त रकमें लेखाओं में दर्ज की जाएगी।

(4) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा की जाएगी।

(5) [149]**[**प्रबंध संचालक**]** संपरीक्षा के समय समस्त लेखाओं, रजिस्टरों, दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य सुसंगत कागज-पत्रों को, जो कि संपरीक्षा अधिकारी द्वारा संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए मंगवाए जाएं, पेश करवाएगा। किसी फर्क को दूर करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण उसे तुरंत दिया जाएगा।

(6) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, मुद्रित किए जाएंगे। लेखाओं तथा संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां, उन पर की गई टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी। संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजी जाएंगी।

[174]**[(7)** मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन तथा अन्य राशियां, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपॉजिट खाते में निक्षिप्त की जाएगी।**]**

धारा 44. प्रयोजन, जिनके लिए मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जाएगी -

मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्

(एक) मंडी सर्वेक्षण तथा गवेषणा, कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण अन्य संबद्ध विषय;

(दो) कृषि उपजों की क्रय तथा विक्रय की शर्तों के सामान्य सुधार संबंधी विषयों के बारे में प्रचार तथा प्रकाशन एवं विस्तार सेवाऐं;

[175]**[(तीन)** [176]**[(क)** ऐसी न्यूनतम आधारित संरचना (इन्फास्ट्रक्चर) जैसी कि प्रथम बार स्थापित किए गए मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में बोर्ड द्वारा विहित की जाए, का सन्निर्माण करना और स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए दो लाख रुपये तक का अनुदान देना;**]**

(ख) राज्य [177]**[***]** की वित्तीय रूप से कमजोर मंडी समितियों को उधारों और/या अनुदानों के रूप में सहायता देना;

---

[174] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2016 द्वारा (दिनांक 15-01-2016 से) उपधारा (7) प्रतिस्थापित; प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (7) निम्न प्रकार थी:
"(7) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन किसी सहकारी बैंक में या यदि बोर्ड के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन्, 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जाएंगे।"

[175] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) खंड (तीन) प्रतिस्थापित।

[176] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) उपखंड (क) प्रतिस्थापित।

[177] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "के अनुसूचित क्षेत्र में" विलोपित।

(ग) किसी मंडी समिति को, मंडी प्रांगण और/या उपमंडी प्रांगण के विकास के लिए, शीतागार गोदाम या भांडागार के सन्निर्माण के लिए, पौध संरक्षण उपस्करों के वितरण के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो वांछनीय समझे जाएं, उधार;**]**

(चार) बोर्ड के कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवनों या भूमि का अर्जन करना या निर्माण करना या भवनों या भूमि को पट्टे द्वारा या अन्यथा भाड़े पर लेना;

(पांच) बोर्ड द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों तथा सेवकों को वेतन, छुट्टी, भत्ते, उपदान, अन्य भत्तों, उधारों तथा अग्रिम एवं भविष्य निधि का और प्रतिनियुक्ति पर के सरकारी सेवकों के लिए पेंशन तथा अन्य अभिदाय का भुगतान;

(छ) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा तथा अन्य भत्ते;

(सात) मंडी समिति का अधिक अच्छा नियंत्रण;

(आठ) बोर्ड द्वारा उपगत किए गए किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति करना;

(नौ) कृषि उपज के नियमित वितरण में शिक्षण प्रदान करना;

[178]**[(दस)** कृषकों, मंडी समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षण देना;**]**

[179]**[(दस-क)** मंडी प्रांगण के विकास के लिए सन्निर्माण के स्थल रेखांक तथा प्राक्कलन तैयार करने हेतु परियोजना रिपोर्ट या मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मंडी समितियों के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था;

(दस- ख) बोर्ड तथा मंडी समितियों की आंतरिक संपरीक्षा;**]**

[180]**[(दस-ग)** कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए कृषि आधानों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) का मंडी क्षेत्रों में विपणन तथा विक्रय;

(दस-घ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों का विकास तथा मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के आवक-जावक को सुकर बनाने के लिए आधारिक संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का सन्निर्माण;

(दस-ङ) आर्थिक रूप से कमजोर मंडी समितियों के इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय का भुगतान करना;**]**

[181]**[(दस-च)** राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से सहकारी सेक्टर की उन कंपनियों की अंशपूंजी में अतिशेष निधि का विनिधान जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग में लगी

---

178 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (दस) प्रतिस्थापित।
179 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) खंड (दस-क), खंड (दस-ख) अंतःस्थापित।
180 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (दस-ग), खंड (दस-घ), खंड(दस-ङ) अंतःस्थापित।
181 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1998 द्वारा (दिनांक 09-06-1998 से) खंड (दस-च) अंतःस्थापित।

हुई है, तथा परिसिद्ध तकनीक का उपयोग करती है तथा जिनकी परियोजनाओं को अधिकोषकीय और आर्थिक रूप से जीवनक्षम दर्शाया गया है;]

[182][**(दस-छ)** कृषि तथा सहबद्ध सेक्टरों में सुसंगत परीक्षण और संचार आधारित संरचना (इन्फास्ट्रक्चर) का विकास;]

(ग्यारह) कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के लिए सामान्य हित का कोई अन्य प्रयोजन।

धारा 45. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति -

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, -

(एक) किसी अन्य अभिकरण से धन उधार ले सकेगा; या

(दो) उसमें निहित किसी संपत्ति के प्राधिकार पर या इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रोद्भूत होने वाली उसकी भावी आय के किसी भाग की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी कर सकेगा।

धारा 46. बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य -

बोर्ड, -

(क) धारा 44 में विनिर्दिष्ट किए गए कृत्यों को, जिन पर बोर्ड की निधि व्यय की जा सकेगी, यथासंभव कार्यान्वित करेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए समस्त विषयों पर सलाह देगा;

(ग) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का, जो कि बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाए, प्रयोग करेगा;

(घ) राज्य सरकार को समय-समय पर स्वेच्छा से निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगा, -

(एक) कृषि उपज की कीमत नियत करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत;

(दो) मंडियों का दक्षतापूर्वक प्रबंध करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही;

(तीन) वह रीति जिसमें कृषि उपज की आमद के आंकड़े तथा कृषि उपज के प्रेषणों संबंधी आंकड़े संकलित किए जाने चाहिए तथा बनाए

[182] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 21 सन् 2000 द्वारा (दिनांक 05-02-2001 से) खंड (दस-छ) अंतःस्थापित।

रखे जाने चाहिए और प्रसारित किए जाने चाहिए ;

(चार) इस अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन;

(पांच) कोई ऐसा विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने लिए आवश्यक हो;

[183]**[(ङ)** इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करवाएगा।

(च) कृषि मंडी समितियों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा।**]**

धारा 47. बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां -

इस बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी कि विहित की जाएं।

अध्याय - 9 : शास्ति

धारा 48. धारा 6 या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के लिए शास्ति-

[184]**[**धारा 48. धारा 6 या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के लिए शास्ति-

(1) जब मंडी समिति के सचिव के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 6 की उपधारा (ख) या धारा 31 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तब समुचित जांच करने और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पहले उल्लंघन के लिए रुपये एक लाख तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसी राशि की वसूली की जाएगी. पश्चात्वर्ती उल्लंघन पर, दोषसिद्ध होने पर, उसे अधिकतम छह माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा.

(2) जो कोई धारा 37 की उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहा है, एक हजार रुपये तक हो सकेगाः

---

[183] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) खंड (ङ), खंड (च) अंतःस्थापित।

[184] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 48 प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी -
"धारा 48. धारा 6 या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के लिए शास्ति -
जो कोई धारा 6 के खंड (ख) या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का धारा 6 के खंड (ख) के उल्लंघन के मामले में तथा पचास रुपये तक का धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के मामले में हो सकेगा;
परंतु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।"

परंतु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दंड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा."**]**

धारा 49. अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिए शास्ति -

[185]**[(1)** **(क)** जो कोई व्यक्ति धारा 35 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह पांच हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है. इस उल्लंघन के कारण जो वित्तीय क्षति हुई है, वह वसूली जाएगी;

(ख) यदि ऐसा उल्लंघन मंडी समिति के सचिव के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर सचिव द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी;

(ग) यदि ऐसा उल्लंघन, मंडी समिति के सचिव द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी।**]**

[186]**[(2)** जो कोई मंडी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी, जो मंडी समिति सचिव द्वारा अधिरोपित की जाएगी।**]**

(3) जो कोई किसी अधिकारी को, लेखाओं का निरीक्षण करने में या मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच करने में बाधा पहुँचायेगा या धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ रुपये का हो सकेगा।

[187]**[(4)** यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाए,-

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से

---

[185] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 49(1) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - "49(1) जो कोई धारा 35 के उपबंधों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

[186] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 49(2) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - "49(2) जो कोई मंडी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा।"

[187] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 49(4) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - "49(4) यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय, -
(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा; या
(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा;
तो वह, दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।"

इंकार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा,

तो वह शास्ति से, जो रुपये एक लाख तक की हो सकेगी, दायी होगा।**]**

(5) जो कोई धारा 54 की उपधारा (3) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को मंडी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों या संपत्ति का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने में बाधा पहुंचाएगा या ऐसे व्यक्ति को उसका परिदान देने में चूक करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

[188]**[(6)** कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मंडी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह उस पर, मंडी समिति के सचिव द्वारा अधिरोपित शास्ति से, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी का दायी होगा और पश्चात्वर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, रुपये एक हजार प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगीः

परंतु कुल शास्ति राशि, वास्तविक बकाया राशि की पांच गुना से अधिक अधिक नहीं होगी।**]**

[189]**[(7)** जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा, जिस के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, वह रुपये पांच हजार तक की शास्ति का दायी होगा, जो मंडी समिति के सचिव द्वारा, अधिरोपित की जाएगी।**]**

धारा 50. मंडी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति -

(1) मंडी समिति तथा उसका अध्यक्ष किसी अनुज्ञापित मंडी कृत्यकारी या विक्रेता पर,

[188] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 49(6) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - "49(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मंडी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो उसके लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान ऐसा अपराध चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।"

[189] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 49(6) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - "49(7) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।"

किसी उपविधि के उल्लंघन के लिए परिनिंदा की या जुर्माने की शास्तियां अधिरोपित कर सकेगा;

परंतु मंडी समिति [190][दो हजार] रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगी तथा अध्यक्ष [191][पांच सौ] रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा ;

परंतु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति सम्बन्धित व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर [192][प्रबंध संचालक] को कर सकेगा और उस पर [193][प्रबंध संचालक] का विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 51. मंडी शोध्यों की वसूली -

[194][धारा 51. मंडी शोध्यों की वसूली –

जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाय, तब मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, जो कि अधिरोपित किया जाय, फीस की रकम या कोई अन्य रकम, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन उससे शोध्य हो, वसूल करेगा और मंडी समिति को उसका भुगतान कर देगा तथा स्वविवेकानुसार, अभियोजन के खर्चों को भी वसूल करेगा तथा मंडी समिति को उनका भुगतान कर देगा।]

धारा 52. अपराधों का संज्ञान -

(1) द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

[195][**(2)** कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध का कलेक्टर द्वारा या मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा किए गए या मंडी समिति द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं।]

---

190 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्द "एक सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
191 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्द "बीस"के स्थान पर प्रतिस्थापित।
192 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
193 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
194 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
195 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।

धारा 53. अपराधों का प्रशमन समझौता -

[196][धारा 53. अपराधों का प्रशमन समझौता –

(1) मंडी समिति या उसकी उपसमिति किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि संबंध में यह अभिकथित हो कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन दंडनीय अपराध किया है, इस प्रकार वसूली योग्य फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त, ऐसे अपराध के प्रशमन के मद्दे [197][पांच हजार] रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन होने पर, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी कार्यवाही न तो की जाएगी और न चालू रखी जाएगी और यदि उस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय से पहले से संस्थित कर दी गई तो ऐसे प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि वह उससे दोषमुक्त हो जाएगा।]

---

[196] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[197] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) शब्द "पांच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय - 10 : नियंत्रण

धारा 54. मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच -

(1) [198][प्रबंध संचालक], -

(क) किसी मंडी समिति के लेखाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा;

(ख) किसी मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच कर सकेगा;

(ग) किसी मंडी समिति से ऐसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट, जिसके कि देने की, ऐसी समिति से अपेक्षा करना वह उचित समझे, मंगा सकेगा;

(घ) किसी मंडी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, -

(एक) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जिसका कि उसे किसी ऐसी बात के किए जाने में, जो कि ऐसी समिति द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान होना प्रतीत होता है, अवैधता, असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर विचार कर ले; या

(दो) किसी ऐसी जानकारी पर विचार कर ले जो कि वह (प्रबंध संचालक) दे सकता हो और जिसके कि संबंध में उसे (प्रबंध संचालक) को यह प्रतीत हो कि उससे किसी बात का ऐसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक हो जाएगा ;

(ङ) यह निदेश दे सकेगा कि कोई ऐसी बात, जो की जाने वाली हो या जो की जा रही है, उत्तर पर विचार के लंबित रहने तक, नहीं की जाना चाहिए और कोई ऐसी बात, जो की जानी चाहिए किंतु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर, जिसके कि संबंध में वह निर्देश दे, की जानी चाहिए।

(2) जब किसी मंडी समिति के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाय या किसी मंडी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा 59 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाय, तब ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक एवं सदस्य मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी देंगे जो कि यथास्थिति राज्य सरकार, [199][प्रबंध संचालक] या प्राधिकृत किए गए अधिकारी को अपेक्षित हो।

(3) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (1) के अधीन किसी मंडी समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण कर रहा हो, या राज्य सरकार को, जो धारा 59 के अधीन किसी मंडी समिति की कार्यवाही की परीक्षा कर रही हो, यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह मंडी समिति के अधिकारियों या सदस्यों को, उन्हीं उपायों से तथा यथासंभव

---

[198] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[199] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उसी रीति में, जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा उपबंधित है, समन करे तथा हाजिर कराए तथा साक्ष्य देने एवं दस्तावेज पेश ने के लिए उन्हें विवश करे।

(4) जहां [200]**[**प्रबंध संचालक**]** को यह विश्वास करने का कारण हो कि मंडी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों में गड़बड़ कर दी जाना या उन्हें नष्ट कर दिया जाना संभाव्य है या किसी मंडी समिति की निधियों या संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां [201]**[**प्रबंध संचालक**]**, अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को यह निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह मंडी समिति की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति का अभिग्रहण कर ले एवं उनका कब्जा प्राप्त कर लें और मंडी समिति का ऐसाकर अधिकारी या उसके ऐसे अधिकारीगण, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को करेंगे/करेगा।

धारा 55. मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना -

[202]**[(1)** [203]**[**प्रबंध संचालक**]**, स्वप्रेरणा से या तत्समय मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किए गए संकल्प पर, मंडी समिति के किसी भी सदस्य को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण हटा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर उसे इस प्रकार हटाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिए मंडी समिति के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित या पुनः नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा;

परंतु इस प्रकार हटाये जाने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे सदस्य को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जावे।**]**

(2) [204]**[**प्रबंध संचालक**]** किसी मंडी समिति के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार असावधान रहने के कारण उसके पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटा दिये जाने पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मंडी समिति के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के शेष भाग के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा;

परंतु हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय।

---

[200] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[201] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[202] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित।
[203] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[204] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[205][(3)] राज्य सरकार किसी मंडी समिति के किसी ऐसे सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जिस पर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील कर दी गई हो, और जिसके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों या जो ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् अनियमितताएं करता है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से या अनियमितताओं के [206][प्रबंध संचालक] की जानकारी में आने की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए निलंबित कर सकेगी, जब तक कि उसके मामलें में अंतिम विनिश्चिय नहीं कर लिया जाता है।

धारा 56. मंडी समिति का अतिष्ठान -

[207][(1)] यदि [208][प्रबंध संचालक] की राय में, कोई मंडी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो [209][प्रबंध संचालक] लिखित आदेश द्वारा, ऐसी समिति का एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अतिष्ठित, कर सकेगा और अतिष्ठान की कालावधि के प्रथम छः मास का अवसान हो जाने पर, मंडी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तथा अतिष्ठान की कालावधि के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसका अवसान इस प्रकार गठित की गई मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन की तारीख को हो गया है;

परंतु इस उपधारा के अधीन अतिष्ठान का आदेश पारित करने के पूर्व, [210][प्रबंध संचालक] प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिए मंडी समिति को युक्तियुक्त अवसर देगा और मंडी समिति के स्पष्टीकरणों तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा;

परंतु यह और भी कि जहां नई मंडी समिति का गठन उसके अतिष्ठान के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, अतिष्ठान की कालावधि को बढ़ा सकेगी जो किसी भी दशा में मंडी समिति के अवधि से, जो [211][धारा 13 की उपधारा (2)] में विनिर्दिष्ट है, अधिक नहीं होगी।

[212][(2)] उपधारा (1) के अधीन किसी मंडी समिति को अतिष्ठित करने वाले आदेश के पारित होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् -

(क) मंडी समिति के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने-अपने पद रिक्त कर दिये है;

---

205 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित।
206 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
207 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1985 द्वारा (दिनांक 12-06-1985 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित।
208 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
209 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
210 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
211 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "धारा 11 की उपधारा (5)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
212 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपधारा (2) प्रतिस्थापित।

(ख) मंडी समिति में निहित समस्त आस्तियां, उसके समस्त दायित्वों के अध्यधीन रहते हुये, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी।]

[213][(3)] जहां कोई मंडी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है तो [214][प्रबंध संचालक] मंडी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा और [215][प्रबंध संचालक] अतिष्ठित की गयी मंडी समिति की ऐसी आस्तियाँ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अंतरण की तारीख को हों, भारसाधक अधिकारी को अंतरित कर सकेगा :

परंतु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है, और ऐसी रिक्ति [216][प्रबंध संचालक] द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।]

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय [217][प्रबंध संचालक] द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि [218][प्रबंध संचालक] द्वारा नियत किए जाएं, मंडी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(6) अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार धारा 11 के अधीन नवीन समिति का गठन कर सकेगी तथा अतिष्ठित की गयी समिति की वे आस्तियां तथा दायित्व, जो कि ऐसे अंतरण की तारीख को हों, उसे अंतरित कर सकेगी।

[219][(7)] यथा पुनर्गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गयी तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा।]

धारा 57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम -

[220][धारा 57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम –

(1) जहां कोई मंडी समिति [221][धारा 13 की उपधारा (2) के परंतुक] के अधीन विघटित

[213] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित।
[214] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[215] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[216] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[217] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[218] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[219] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 8 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 18-01-1994 से) उपधारा (7) प्रतिस्थापित।
[220] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 8 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 18-01-1994 से) प्रतिस्थापित।
[221] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) प्रतिस्थापित।

हो जाती है वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) मंडी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मंडी समिति का विघटन हो जाने की तारीख से अपना-अपना पद रिक्त कर दिया है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके समस्त कर्तव्यों का पालन [222]**[**प्रबंध संचालक**]** के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे प्रबंध संचालक आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे और जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा :

परंतु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति, [223]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा, यथाशक्त शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(ग) मंडी समिति में निहित समस्त संपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी में न्यासत: निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय, [224]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि [225]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा नियत किए जाएं, मंडी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) यथापुनर्गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा।**]**

धारा 57-क. निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति –

[226]**[**धारा 57-क. निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति –

[227]**[(1)** यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समय समय पर,

[222] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[223] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[224] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[225] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[226] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 39 सन् 1974 द्वारा (दिनांक 15-05-1974 से) अंतःस्थापित।
[227] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 43 सन् 1976 द्वारा (दिनांक 12-05-1974 से) अंतःस्थापित।

अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंडी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मुल्तवी कर सकेगी :

परंतु संपूर्ण कालावधि कुल मिलाकर [228]**[**तीन वर्ष छः मास**]** से अधिक नहीं होगी।**]**

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान नहीं किया जाएगा;

(ख) निर्वाचन कार्यवाहियां चाहे वे किसी भी प्रकम पर हों, निराकृत हो जाएंगी और;

(ग) सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निक्षेप उन्हें वापस कर दिये जाएंगे।**]**

[229]**[स्पष्टीकरण -**

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन कार्यवाहियां" से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जो उस तारीख से प्रारंभ होती हो जिसको कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा की गयी हो तथा तब समाप्त होती हो जबकि निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाए।**]**

धारा 58. हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व -

(1) यदि, धारा 54 के अधीन की गई जांच या किए गए निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गयी संपरीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे किसी मंडी समिति का प्रबंध सौपा गया है या सौंपा गया था [230]**[**या मंडी समिति के किसी मृत, भूतपर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, भारसाधक अधिकारी, मंडी समिति के सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी**]** ने ऐसी समिति के या उसके नियंत्रणाधीन किसी धन या अन्य संपत्ति का संदाय या उपयोजन, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल हो, किया हो या उसके करने का, उससे संबंधित किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या उसमें भाग लेकर, निदेश दिया हो या घोर उपेक्षा या अवचार के द्वारा कोई कमी या हानि कारित की हो या मंडी समिति के किसी भी धन का या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग

[228] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 सन् 1977 द्वारा (दिनांक 12-05-1977 से) शब्दों "तीन वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[229] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 26 सन् 1975 द्वारा (दिनांक 12-05-1974 से) अंतःस्थापित।
[230] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।

किया हो या उसे कपटपूर्वक प्रतिधारित किया हो, तो [231][प्रबंध संचालक], स्वप्रेरणा से या मंडी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण के संबंध में, [232][उस तारीख से, जिसको कि यथास्थिति संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की गयी हो, दो वर्ष के भीतर] स्वयं जांच कर सकेगा या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को उस जांच के करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गयी जांच हो जाने पर [233][प्रबंध संचालक] का यह समाधान हो जाये कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिए अच्छे आधार हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जिसको उसकी सम्पदा विरासत में मिली हो यह अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा कि वह उस धन या उस संपत्ति का या उसके किसी भी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय या वापसी करे या अभिदाय तथा खर्चे या प्रतिकर का ऐसी सीमा तक संदाय करे जिसे कि [234][प्रबंध संचालक] न्यायसंगत या साम्यापूर्ण समझे:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

परंतु यह और भी कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त हुई हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, [235][उस तारीख से जिसको कि उसे आदेश संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर] राज्य सरकार को, अपील कर सकेगा और राज्य सरकार के आदेश के अध्यधीन रहते हुये [236][प्रबंध संचालक] का आदेश अंतिम एवं निश्चायक होगा :

[237][परंतु परिसीमा-काल की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।]

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई भी आदेश [238][प्रबंध संचालक] का आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा मानों कि वह ऐसे न्यायालय की डिक्री हो, या कोई भी ऐसी रकम, जिसके कि संबंध में ऐसे आदेश

[231] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[232] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[233] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[234] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[235] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[236] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[237] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[238] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

द्वारा यह निर्देशित किया गया हो कि उसका भुगतान किया जाय, भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जा सकेगी।

[239][**(6)** यदि शपथ पत्र के आधार पर, जांच करने पर या अन्यथा, [240]**[**प्रबंध संचालक**]** का यह समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के, जो कि इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलंब करने या उसमें बाधा डालने के आशय से, -

(क) अपनी संपूर्ण संपत्ति का या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या

(ख) अपनी संपूर्ण संपत्ति को या उसके किसी भाग को राज्य से हटाने वाला है, तो वह [241]**[**प्रबंध संचालक**]**, यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी गई हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उक्त संपत्ति की या उसके किसी ऐसे भाग की, जिसे कि वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की कर ली जाय तथा ऐसी कुर्की का वही प्रभाव होगा मानों कि वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गयी हो।**]**

धारा 59. मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति -

[242]**[**धारा 59. मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति –

(1) [243]**[**प्रबंध संचालक**]**, स्वप्रेरणा से, या उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी मंडी समिति की कार्यवाहियों को तथा राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, या उसे किए गए आवेदन पर, [244]**[**प्रबंध संचालक**]** की कार्यवाहियों को, जैसी भी कि दशा हो, किए गए किसी भी विनिश्चय की या पारित किए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में तथा यथास्थिति समिति या [245]**[**प्रबंध संचालक**]** की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी/सकेगा तथा उनकी परीक्षा कर सकेगी/सकेगा। यदि किसी भी मामलें में [246]**[**प्रबंध संचालक**]** या राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे विनिश्चय या आदेश या इस प्रकार मंगाई गयी कार्यवाही को उपांतरित किया जाना चाहिए, वातिल किया जाना चाहिए, उलट दिया जाना चाहिए या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी/सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु प्रत्येक ऐसा आवेदन, जो कि [247]**[**प्रबंध संचालक**]** या राज्य सरकार को इस हेतु से किया जाना हो कि वह धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करे, उस तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा जिसको कि वह विनिश्चय या आदेश, जिससे कि ऐसा आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परंतु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, उससे (आदेश

---

239 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
240 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
241 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
242 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
243 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
244 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
245 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
246 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
247 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

से) प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा।

(2) मंडी समिति द्वारा किए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के निष्पादन को यथास्थिति [248]**[**प्रबंध संचालक**]** या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर्यंत निलंबित कर सकेगी/सकेगा।**]**

[248] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय - 11 : प्रकीर्ण

धारा 60. अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति -

राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज की मदों में से किसी भी मद में, अधिसूचना द्वारा परिवर्द्धन या संशोधन कर सकेगी या उसे निकाल सकेगी और तदुपरान्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हुई समझी जाएगी :

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की कम से कम छः सप्ताह की, जैसा कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, पूर्व सूचना राजपत्र में दिये बिना जारी नहीं की जायगी।

धारा 61. राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली -

[249][धारा 61. राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली –

(1) कोई भी ऐसी राशि, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के उपबंधों के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, भाटक या किसी अन्य लेखे, किसी मंडी समिति या बोर्ड [250][या कृषि उपज के किसी विक्रेता] को शोध्य हों, उस रीति में वसूली योग्य होंगी जिसमें कि भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

(2) कोई भी ऐसी राशि, जो यथास्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मंडी समिति से शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है :

[251][परंतु इस प्रकार वसूल की गई राशि में से, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसी वसूली करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि संदत्त किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा।]

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन की गई कार्यवाहियों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे सूचना दी जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर [252][प्रबंध संचालक] को अपील कर सकेगा जिसका उस पर आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

(4) [253][प्रबंध संचालक], यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उन कार्यवाहियों को, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि तक के लिए रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।]

---

[249] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित।
[250] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) अंतःस्थापित।
[251] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) परंतुक अंतःस्थापित।
[252] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[253] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

धारा 62. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य -

प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करने के किसी प्रयत्न के या ऐसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे प्राप्त हो, यथाशक्य शीघ्र मंडी समिति को संसूचित करे तथा मंडी समिति के सचिव या किसी अधिकारी या सेवक की, जो कि अपने विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में उसकी (पुलिस अधिकारी की) सहायता मांगे, सहायता करे।

धारा 63. हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति-

जब कभी यह पाया जाय कि किसी मंडी समिति को शोध्य कोई रकम वसूल न होने योग्य है, या यह पाया जाय कि उसका परिहार कर दिया जाना चाहिए या जब कभी किसी समिति के धन या सामान या अन्य संपत्ति की कोई हानि किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हो और यह पाया जाय कि वह संपत्ति या धन वसूल न होने योग्य है, [254][तब एक सौ रुपये से अनधिक राशि होने की दशा में अध्यक्ष और इससे अधिक राशि होने की दशा में] मंडी समिति यह आदेश दे सकेगी कि उन सबको यह दर्शा कर बट्टे खाते डाल दिया जाय कि वे खो गए है/खो गई है, वसूल न होने योग्य है या उनका परिहार कर दिया गया है, जैसी भी कि दशा हो :

परंतु यदि किसी मामले में रकम [255][पांच सौ] रुपये से अधिक हो, तो ऐसा आदेश [256][प्रबंध संचालक] के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

धारा 64. मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे -

मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी तथा सेवक और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक भारतीय दंड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ क लोक सेवक समझे जाएंगे।

धारा 65. शक्तियों का प्रत्यायोजन -

[257][(1)] राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति धारा 79 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो [258][प्रबंध संचालक] के पद से निम्न पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

[259][(2)] [260][प्रबंध संचालक], इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति राज्य मंडी बोर्ड सेवा के किसी भी अधिकारी को

---

[254] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
[255] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) शब्द "एक सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[256] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[257] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) प्रतिस्थापित।
[258] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[259] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) प्रतिस्थापित।
[260] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रत्यायोजित कर सकेगा।]

[261][(3) [262][प्रबंध संचालक] या इस धारा के अधीन सशक्त किए गए किसी अधिकारी को, जब कि वह किसी मंडी समिति और किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिए उद्‌भूत होने वाले किसी प्रश्न के बारे में जांच करने या उसे विनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, न्यायालय समझा जायगा।]

धारा 66. सिविल वाद का वर्जन -

किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो [263][प्रबंध संचालक] के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध या बोर्ड या किसी मंडी समिति के विरुद्ध या बोर्ड या किसी मंडी समिति के अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो कि [264][प्रबंध संचालक], ऐसे अधिकारी या ऐसी समिति के निर्देशों के अधीन तथा अनुसार कार्य कर रहा हो, विरुद्ध कोई भी वाद नहीं होगा।

धारा 66-क. निर्वाचन याचिका -

[265][धारा 66-क. निर्वाचन याचिका –

(1) इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन को केवल, संभाग के आयुक्त को विहित रीति में प्रयुक्त याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा।

(2) ऐसी कोई याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको कि प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न कर दी जाए।

(3) ऐसी याचिका की जांच या उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।]

धारा 67. सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन -

बोर्ड या किसी समिति के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना के, जिसमें कि वाद हेतुक, इच्छुक वादी का नाम तथा निवास स्थान तथा वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित हो, उसे परिदत्त कर दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़ दिये जाने के ठीक पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो। ऐसा प्रत्येक वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वह अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्‌भूत होने की

---

261 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) अंतःस्थापित।
262 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
263 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
264 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
265 मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 14 सन् 1999 द्वारा (दिनांक 06-05-1999 से) अंतःस्थापित।

तारीख से छः मास के भीतर संस्थित न किया गया हो।

धारा 68. कार्यवाहियां रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी -

बोर्ड या किसी मंडी समिति या उसकी उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि, -

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती।

अध्याय - 12 : मंडी की सीमाओं में परिवर्तन

धारा 69. मंडी-फीस से छूट देने की शक्ति –

[266][धारा 69. मंडी-फीस से छूट देने की शक्ति –

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निबंधनों के, यदि कोई हों, जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी कृषि उपज को, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए मंडी क्षेत्र में विक्रय के हेतु लाई गई हो या क्रय की गई हो या बेची गई हो, ऐसी कालावधि के लिए, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मंडी फीस के भुगतान से पूर्णत: या भागतः छूट दे सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को उस कालावधि का, जिसके कि लिए उसे प्रवृत्त बने रहना था, अवसान होने के पूर्व विखंडित किया जा सकेगा और ऐसा विखंडन हो जाने पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रह जाएगी।]

धारा 70. मंडी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना -

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, -

(एक) मंडी-क्षेत्र में, उनके समीपवर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके मंडी-क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के; या

(दो) दो या अधिक मंडी-क्षेत्रों को समामेलित करने के तथा उनके लिए एक मंडी समिति गठित करने के; या

(तीन) किसी मंडी-क्षेत्र को विपाटित करने के तथा उसके लिए दो या अधिक मंडी समितियां गठित करने के; या

(चार) किसी मंडी को बन्द करने के अपने आशय को संज्ञापित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की, जिसे कि किसी मंडी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना या जिसे किसी मंडी-क्षेत्र में से अपवर्जित किया जाना आशयित हो, या उन मंडी क्षेत्रों की, जिनको कि समामेलित करके एक मंडी-क्षेत्र बनाया जाना आशयित हो, या किसी विद्यमान मंडी क्षेत्र को विपाटित करने के पश्चात् गठित की जाने के लिए आशयित मंडियों में से प्रत्येक मंडी के क्षेत्र की या उस मंडी के, जिसका कि बंद किया जाना आशयित हो, क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी और उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना में छः सप्ताह से कम

[266] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 6 सन् 1987 द्वारा (दिनांक 17-10-1986 से) प्रतिस्थापित।

न होने वाली कालावधि भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके कि भीतर आपत्तियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाएंगी।

धारा 71. धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया -

(1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना से प्रभावित मंडी-क्षेत्रों का कोई भी निवासी, यदि उसे उस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में आपत्ति हो, अपनी लिखित आपत्तियां राज्य सरकार को, ऐसी कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जो कि उक्त अधिसूचना में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गयी हों।

(2) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो गया हो, और जब राज्य सरकार ने उन आपत्तियों पर, जो कि उक्त कालावधि के भीतर उसको प्रस्तुत की गई हों, विचार कर लिया हो तथा आदेश पारित कर दिए हों, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा -

(क) उस क्षेत्र को या उसके किसी भाग को मंडी क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसे अपवर्जित कर सकेगी; या

(ख) समामेलित किए गए मंडी-क्षेत्रों के लिए नवीन मंडी समिति का गठन कर सकेगी; या

(ग) किसी विद्यमान मंडी-क्षेत्र को विपाटित कर सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिए यथास्थिति दो या अधिक मंडी समितियों का गठन कर सकेगी; या

(घ) मंडी को बंद कर सकेगी।

धारा 72. सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति -

(1) जहां धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहां राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में ऐसे पारिणामिक आदेश दे सकेगी जैसे कि वह उचित समझे, -

(क) परिवर्तित क्षेत्र के लिए मंडी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मंडी-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो या उसमें से अपवर्जित किया गया हो;

(ख) उन विद्यमान मंडी समितियों का, जो कि समामेलित की गई हो, विघटन और तत्पश्चात्, समामेलित मंडी समिति का गठन जबकि दो या अधिक मंडी समितियां समामेलित की गई हो;

(ग) विपाटित की गयी मंडी समिति का विघटन और तत्पश्चात्, उसके स्थान पर स्थापित की गई मंडी समितियों का गठन तथा उससे आनुषंगिक बातें।

[267][**(2)** उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (ग) के उपबंधों के अनुसार पारित किए गए आदेश के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि के दौरान स्थापित की गई नई मंडी के लिए एक भारसाधक समिति का गठन करेगी:

[268][परंतु राज्य सरकार, ऐसी गठित समिति को विघटित करने के लिए सक्षम होगी तथा उसके स्थान पर एक निर्वाचित मंडी समिति के गठन किए जाने तक एक भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगी।]

(3) विघटित मंडी समितियों के समामेलन की दशा में, भारसाधक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

(क) एक अध्यक्ष जो विघटित मंडी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) दस कृषक प्रतिनिधि जो विघटित मंडी समितियों के निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक व्यापारी प्रतिनिधि जो विघटित मंडी समितियों के निर्वाचित व्यापारी प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मंडी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ङ) मंडी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) मंडी क्षेत्र में कार्यरत मंडी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ञ) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

---

[267] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28-04-2003 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[268] मध्यप्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 सन् 2019 द्वारा (दिनांक 08-03-2019 से) परंतुक अंतःस्थापित। मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 9 सन् 2019 द्वारा (दिनांक 13-08-2019 से) परंतुक अंतःस्थापित।

(4) **(क)** मंडी समिति के विपाटन की दशा में, प्रत्येक भारसाधक समिति एक अध्यक्ष, दस कृषक प्रतिनिधि तथा एक व्यापारी प्रतिनिधि से मिल कर गठित की जाएगी:

परंतु, -

(एक) विघटित मंडी समिति का अध्यक्ष स्थापित की गई उस नई मंडी समिति का नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष होगा जिसका वह मतदाता हो तथा अन्य मंडी समिति के लिए राज्य सरकार एक अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11-ख की उपधारा (2) और (3) में विहित अर्हताएं रखता हो;

(दो) विघटित मंडी समिति के कृषक प्रतिनिधि उस नवगठित मंडी समिति के सदस्य रूप में भी नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके वे मतदाता है तथा शेष कृषक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो धारा 11-ख की उपधारा (1), (2) तथा (3) में विहित अर्हताएं रखते हों;

(तीन) विघटित मंडी समिति के व्यापारियों के प्रतिनिधि को उस नवगठित मंडी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका वह मतदाता है तथा अन्य मंडी समिति के लिए राज्य सरकार, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विहित अर्हताएं रखते हों;

(ख) राज्य विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मंडी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) मंडी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(घ) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) मंडी क्षेत्र में कार्यरत मंडी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(छ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ज) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित भारसाधक समिति, प्रबंध संचालक के नियंत्रणाधीन

रहते हुए इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगी।

धारा 73. सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम -

जहां मंडी क्षेत्र में से कोई क्षेत्र अपवर्जित करते हुए तथा किसी ऐसे क्षेत्र को किसी अन्य मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो वहां राज्य सरकार, मंडी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह अवधारित करने के लिए स्कीम बनाएगी कि एक मंडी समिति में निहित आस्तियों तथा अन्य संपत्तियों का कौन-सा भाग अन्य मंडी समिति में निहित होगा और मंडी समितियों के दायित्वों को उन दो मंडी समितियों के बीच किस रीति से प्रभाजित किया किया जायगा और ऐसी स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

धारा 74. समामेलन का परिणाम -

समामेलित मंडी-क्षेत्रों के लिए नवीन मंडी समिति का गठन करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्,-

(क) धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख के ठीक पूर्व किसी मंडी समिति के नियंत्रणाधीन समस्त संपत्ति, जिसमें निधियाँ भी सम्मिलित हैं नवीन मंडी समिति की संपत्ति तथा निधि हो जाएगी;

(ख) समामेलित मंडी-क्षेत्रों की मंडी समितियों के कर्मचारी, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय, सेवा में बनाए रखे जाएंगे और नवीन मंडी समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी समझे जाएंगे;

(ग) ऐसे समस्त नियम, उपविधियां, आदेश तथा अधिसूचनाएं, जो धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख से ठीक पूर्व समामेलित मंडी समितियों के क्षेत्र में प्रवृत्त हों, ऐसे विषयों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संबंधित नियमों, उपविधियों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं को छोड़कर, निरस्त हो जाएंगी, और उसमें विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित नियम, उपविधियां, आदेश तथा अधिसूचनाएं नवीन मंडी समिति के क्षेत्र में सर्वत्र तब तक प्रवर्तित रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित संशोधित या रद्द न कर दिया जाय :

परंतु ऐसा निरसन, की गयी समस्त कार्यवाहियों तथा बातों के संबंध में मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1957 (क्रमांक 03 सन् 1958) की धारा 10 उपबंधों द्वारा शामिल होगा; और

(घ) कोई भी ऐसा अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो कि धारा 71 के अधीन समामेलित मंडी समितियों द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो, नवीन मंडी समिति द्वारा अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व समझा जायगा।

धारा 75. विपाटन का परिणाम -

(1) किसी मंडी क्षेत्र को दो या अधिक मंडी क्षेत्रों में विपाटित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्, -

(क) ऐसे समस्त नियम, उपविधियां तथा आदेश, जो धारा 71 के अधीन ऐसी मंडी समिति के मंडी क्षेत्र का विपाटन किया जाने के ठीक पूर्व मूल मंडी समिति के क्षेत्र प्रवृत्त थे, नवीन मंडी समितियों में समाविष्ट क्षेत्रों में तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय;

(ख) ऐसी समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों का, जिनका कि इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाना हो या पालन किया जाना हो, जब तक कि नवीन मंडी क्षेत्रों में से प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए मंडी समिति का गठन न हो जाय प्रयोग तथा पालन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसके कि बारे में राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे, किया जाएगा;

(ग) मूल मंडी समिति में निहित समस्त संपत्ति, राज्य सरकार के किन्हीं भी आदेशों के अध्यधीन रहते हुये, नवीनतः गठित मंडी समिति के क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा धारण की जाएगी तथा व्यय की जाएगी; और

(घ) जब तक कि मंडी समितियों का गठन न हो जाय, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मूल मंडी समिति द्वारा वाद चलाये जाने या उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को जोकि उक्त मूल मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हो, चालू रखे जाने के लिए मूल मंडी समिति का प्रतिनिधि समझा जाएगा।

(2) उस दिन, जिसको कि नवीन मंडी क्षेत्रों में मंडी समितियों का गठन हो जाए, कलेक्टर ऐसे प्रत्येक मंडी क्षेत्र की मंडी समिति को, उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में प्रशासन सौंप देगा।

धारा 76. विपाटित मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्वों का प्रभाजन -

(1) मूल मंडी क्षेत्र की किसी मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नवीनतः गठित किए गए नवीन मंडी क्षेत्रों की विभिन्न मंडी समितियों में प्रभाजित कर दिये जाएंगे।

(2) डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित विषयों के संबंध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा, अर्थात् :

(क) मूल मंडी क्षेत्र की मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्व;

(ख) नवीन मंडी क्षेत्रों की मंडी समितियों के बीच आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन;

(ग) वह रीति, जिसमें मूल मंडी क्षेत्रों की मंडी समिति के विद्यमान अधिकारी, सेवक तथा अन्य स्थायी कर्मचारी नवीन मंडी क्षेत्रों की मंडी समितियों द्वारा संविलीन किए जाने चाहिए;

(घ) साधारणत: नवीन मंडी क्षेत्रों की मंडी समितियों के गठन से अनुषंगिक (अनुपूरक) तथा परिणामिक समस्त विषयों के संबंध में।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट की गयी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी जो कि उसे ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी, जैसी कि विहित की जाए।

(4) हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों के विरुद्ध उसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर, राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी की रिपोर्ट पर तथा प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार कर सकेगी और उनके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(6) समस्त ऐसी बातों पर दिये गए राज्य सरकार के आदेश अंतिम होंगे और किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

धारा 77. नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद -

(1) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत आते हों नवीन मंडी क्षेत्र की मंडी समितियां, पृथक-पृथक मूल मंडी क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखा जाने के लिए मूल मंडी समिति की प्रतिनिधि समझी जाएगी।

(2) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत न आते हों, नवीन मंडी क्षेत्रों की मंडी समितियां, संयुक्त रूप से, मूल मंडी क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा वाद चलाए जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाए जाने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखे जाने के लिए, मूल मंडी क्षेत्र की मंडी समिति की प्रतिनिधि समझी जाएंगी।

(3) यदि नवीन मंडी क्षेत्रों की मंडी समितियों के बीच किसी डिक्री या आदेश के अधीन उनके अपने-अपने दायित्व या दावे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो मामला राज्य सरकार को निर्देशित किया जायगा, जिसका कि विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 78. समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति -

जब धारा 71 के अधीन दो या अधिक मंडी समितियों के समामेलन द्वारा एक नवीन मंडी समिति गठित की जाए या जहां किसी विद्यमान मंडी समिति को विपाटित करके दो या अधिक नवीन मंडी समितियां गठित की जाएं, वहां समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के समस्त स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्त लाभ, यदि कोई हों, वे ही वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्त लाभ होंगे जो कि यथास्थिति समामेलन या विपाटन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे।

अध्याय - 13 : नियम तथा उपविधियाँ

धारा 79. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध बना सकेगी, -

[269]**[(एक)** [विलोपित]**]**

[270]**[(एक-क)** धारा 3 (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अन्य रीतियां;**]**

(दो) - **(क)** अर्हताएं जो कृषकों के प्रतिनिधियों में धारा 11(1)[271]**[**(ख)**]** के अधीन होंगी;

(ख) अर्हताएं जो व्यापारियों के प्रतिनिधियों में धारा 11(1)[272]**[**(ग)**]** के अधीन होंगी;

(ग) धारा 11(3) के अधीन प्राधिकारी जो निर्वाचनों का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण, मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा उसे बनाए रखना, सदस्य के रूप चुने जाने या सदस्य होने संबंधी निरर्हताएं, मत देने का अधिकार, निक्षेप का भुगतान तथा उसका समपहरण, निर्वाचन अपराध, निर्वाचन संबंधी विवादों का अवधारण तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय;

(तीन) मंडी समिति एवं उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां तथा पालन किए जाने वाले कर्तव्य;

(चार) मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन;

[273]**[(चार-क)** धारा 15 के अधीन मंडी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति;**]**

[274]**[(चार -ख)** [विलोपित]**]**

(पांच) मंडी का प्रबंध, मंडी फीस की वसूली के लिए प्रक्रिया मंडी फीस के अपवंचन के लिए जुर्माना तथा विवरणियां देने में व्यतिक्रम होने की

---

[269] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21-07-1986 से) विलोपित।
[270] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) पुनः क्रमांकित।
[271] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) (क) के लिए प्रतिस्थापित।
[272] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) (ख) के लिए प्रतिस्थापित।
[273] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।
[274] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) विलोपित।

दशा में मंडी फीस के निर्धारण की रीति;

(छः) अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के लिए मंडी कृत्यकारियों का वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का विनियमन, वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति लेने के लिए अपेक्षित है, वे प्ररूप जिनमें तथा वे निबंधन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी या नवीकृत की जाएंगी;

(सात) ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध जिनके द्वारा तथा प्ररूप जिसमें दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तथा मंडी समिति की पुस्तकों में की प्रविष्टियां प्रमाणित की जा सकेंगी और ऐसी प्रतिलिपियों के प्रदाय के लिए उद्ग्रहीत किए जाने वाले प्रभार;

(आठ) उन बांटों तथा मापों एवं तौलने तथा मापने के उपकरणों का प्रकार तथा विवरण जो मंडी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के संव्यवहारों में उपयोग में लाये जाएंगे;

(नौ) मंडी प्रांगण में उपयोग में लाये जा रहे समस्त बांटों तथा मापों का और तौलने तथा मापने के उपकरणों का नियतकालिक निरीक्षण;

(दस) व्यापारिक छूट, जो मंडी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी या प्राप्त की जा सकेगी;

(ग्यारह) अधिसूचित कृषि उपज के किसी क्रेता तथा विक्रेता या उनके अभिकर्ताओं के बीच होने वाले किसी विवाद के, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की क्वालिटी या तौल, बेचे गए माल की कीमत के बारे में किए गए भुगतान तथा वेष्टकों, पात्रों, कचरे या अशुद्धताओं के लिए दी गई छूट या किसी भी कारण से की गई कटौतियों से संबंधित विवाद आते हैं, मध्यस्थता द्वारा, माध्यस्थम् द्वारा या अन्यथा परिनिर्धारण के लिए सुविधाएं;

(बारह) मंडी में लाई गई किसी कृषि उपज का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था;

(तेरह) अंशत: या पूर्णतः मंडी समिति के व्यय से निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्माण कार्यो के रेखांकों तथा प्राक्कलनों का तैयार किया जाना और ऐसे रेखांकों तथा प्राक्कलनों के लिए मंजूरी दी जाना;

(चौदह) वह प्ररूप जिसमें मंडी समिति के लेखे रखे जाएंगे, संपरीक्षा तथा ऐसे संपरीक्षा का प्रकाशन और लेखाओं के संपरीक्षा ज्ञापनों का निरीक्षण और ऐसे ज्ञापनों का प्रदाय;

(पन्द्रह) वार्षिक बजट का तैयार किया जाना और उसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना तथा मंडी समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट तथा

विवरणियां;

[275][**(पन्द्रह-क)** वह प्ररूप जिसमें मंडी समिति धारा 25-क की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय तथा व्यय का बजट तैयार करेगी;]

(सोलह) समय, जिसके दौरान तथा वह रीति जिसमें कोई व्यापारी या दलाल या आढ़तिया मंडी समिति को ऐसी विवरणियां, जैसी कि उसके द्वारा अपेक्षित की जाए, देगा;

(सत्रह) दलालों या आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दिये गए अग्रिमों का, यदि कोई हो, विनियमन;

(अठारह) कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण;

(उन्नीस) कृषि उपज की आमद तथा उसके औसत मूल्यों का अभिलेख रखना;

(बीस) रीति, जिसमें कृषि उपज का मंडी में नीलाम संचालित किया जाएगा और बोली लगाई जाएगी तथा प्रतिग्रहीत की जाएगी;

(इक्कीस) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय फीस की वसूली तथा उसका व्ययन;

(बाईस) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन अपराधों का शमन किया जाना तथा उसके लिए प्रतिकर का नियत किया जाना;

[276][**(तेईस)** [विलोपित]]

[277][**(चौबीस)** [विलोपित]]

(पच्चीस) उस व्यय की, जो कि विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में उपगत किया जा सकेगा, सीमा;

(छब्बीस) अध्यक्ष के मानदेय, सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा सम्मिलनों में हाजिर होने के लिए सदस्यों को देय बैठक फीस की सीमाएं;

(सत्ताईस) मंडी समिति निधि तथा मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में के अधिशेष के विनिधान की रीति;

(अट्ठाईस) उपविधियां विरचित करने, उनमें संशोधन करने या उन्हें रद्द करने के लिए और उनके पूर्व एवं अंतिम प्रकाशन के लिए प्रक्रिया;

(उनतीस) इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के

[275] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंत:स्थापित।
[276] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) विलोपित।
[277] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 सन् 2001 द्वारा (दिनांक 27-12-2001 से) विलोपित।

लिए मंडी समितियों का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण;

(तीस) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि;

(इकत्तीस) बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां;

(बत्तीस) वे समस्त बातें जिनका कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो;

[278]**[(बत्तीस-क)** इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील की रीति;**]**

(तैंतीस) साधारणत: मंडी समिति के मार्गदर्शन के लिए;

[279]**[(तैंतीस-क)** वह रीति जिसमें मंडी समिति या बोर्ड की स्थावर संपत्ति अंतरित की जाएगी।**]**

[280]**[(3)** × × ×]

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

धारा 80. उपविधियां बनाने की शक्ति -

(1) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये मंडी समिति अपने प्रबन्धाधीन मंडी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित के लिए उपविधियाँ बना सकेगी, -

(एक) उसके कारबार का विनियमन;

(दो) मंडी में व्यापार की शर्तें;

(तीन) अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन, उनकी नियुक्ति, वेतन, दंड, पेंशन, उपदान, छुट्टी, छुट्टी भत्ते, उनके द्वारा किसी भविष्य निधि के प्रति, जो ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की जाए, अभिदाय तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(चार) किसी उप-समिति को, यदि कोई हो, शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन;

(पांच) ऐसे मंडी कृत्यकारी जो अनुज्ञप्ति लेने के लिए अपेक्षित किए जाएंगे;

---

[278] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंत:स्थापित।
[279] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 (दिनांक 15-06-2003 से) अंत:स्थापित।
[280] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 79(3) विलोपित। विलोपन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी - 79(3) किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(छः) कोई अन्य विषय जिसके के लिए इस अधिनियम के अधीन उपविधियां बनाई जानी हों या जिनके कि संबंध में यह आवश्यक हो कि मंडी क्षेत्र में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपविधियां विरचित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनायी गयी कोई भी उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि [281]**[**प्रबंध संचालक**]** द्वारा न कर दी गई हो।

[282]**[(3)** × × ×]

धारा 81. उपविधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति -

धारा 81. उपविधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की [283]**[**प्रबंध संचालक**]** की शक्ति –

(1) यदि [284]**[**प्रबंध संचालक**]** को यह प्रतीत हो कि किसी मंडी या मंडी समिति के हित में कोई उपविधि बनाना या किसी उपविधि को संशोधित करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह आदेश द्वारा संबंधित मंडी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह (मंडी समिति) ऐसे समय के भीतर, जैसा कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपविधि बनाए या उपविधि को संशोधित करे।

(2) यदि मंडी समिति विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर ऐसी उपविधि बनाने में या उपविधि को इस प्रकार संशोधित करने में असफल रहे, तो [285]**[**प्रबंध संचालक**]** मंडी समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा ऐसी उपविधि बना सकेगा या उपविधि को इस प्रकार संशोधित कर सकेगा और तदुपरि उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी उपविधि, या उपविधि का ऐसा संशोधन, इस अधनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति द्वारा बनाई गई या संशोधित की गई समझी जाएगी और तदुपरि ऐसी उपविधि या संशोधन मंडी समिति पर आबद्धकर होगा / होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन [286]**[**प्रबंध संचालक**]** के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को होगी और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

धारा 81-क. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति -

---

[281] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[282] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2025 द्वारा (दिनांक 22-08-2025 से) धारा 79(3) विलोपित। विलोपन के पूर्व उक्त धारा निम्न प्रकार थी -
79(3) किसी उपविधि को बनाने में मंडी समिति यह निर्देश दे सकेगी कि उसका (उपविधि का) भंग जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा तथा जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहां ऐसे और जुर्माने से दंडनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान भंग चालू रहना साबित हो जाय, पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।
[283] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[284] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[285] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[286] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-06-1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[287][धारा 81-क. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति –

इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, -

(एक) अपने कारबार को करने के लिए;

(दो) अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन करने के लिए और उनकी सेवा से संबंधित विषयों के लिए;

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु किसी अन्य विषय के लिए;

विनियम बना सकेगा।]

---

[287] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।

अध्याय - 14 : निरसन तथा व्यावृत्तियां

धारा 82. निरसन तथा व्यावृत्तियां -

(1) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माक्रेट्स (वैलीडेशन) एक्ट, 1962 (क्रमांक 12 सन् 1962), मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी समिति (निर्वाचन स्थगन) निरसन अधिनियम, 1967 (क्रमांक 24 सन् 1967), मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (क्रमांक 17 सन् 1968), मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 2 सन् 1970), मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 23 सन् 1970), मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1971 (क्रमांक 22 सन् 1971) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 30 सन् 1972) एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, -

(एक) उक्त अधिनियमों या उनके द्वारा निरस्त हुई किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या नियुक्त की गयी समस्त मंडी समितियां, नियुक्त किया गया भारसाधक पदाधिकारी या नियुक्त की गई भारसाधक समिति, स्थापित की गई मंडियां, घोषित किए गए मंडी-क्षेत्र, अधिसूचित की गई कृषि उपज, बनाए गए नियम या बनाई गई उपविधियां, जारी की गई अधिसूचना, उद्ग्रहीत की गई फीस, की गई संविदाएं, मंजूर की गई अनुज्ञप्तियां, संस्थित किए गए वाद तथा की गई कार्यवाहियां या की गई कोई अन्य बातें या किए गए कार्य, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन गठित की गई, नियुक्त की गई, नियुक्त किया गया/ नियुक्त की गई, स्थापित की गई, घोषित किए गए, अधिसूचित की गई, बनाए गए/ बनाई गई, जारी की गई, उद्ग्रहीत की गई, मंजूर की गई, संस्थित किए गए, की गई या किए गए समझे जाएंगे/ जाएंगी जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किए गए किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जाएं या अतिष्ठित न कर दी जाएं।

(दो) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करें, खंड (1) में निर्दिष्ट की गई मंडी समितियां तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य निरसित अधिनियम के अधीन अपनी अवधि/पदावधि का अवसान होने तक या इस अधनियम के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के गठित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बने रहेंगे/ बनी रहेंगी।

(3) उपधारा (2) के खंड (दो) के अधीन निर्देश जारी किए जाने पर धारा 57 के उपबंध ऐसी तारीख से, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस प्रकार लागू होंगे मानों कि मंडी समिति उस तारीख को विघटित थी।

अनुसूची

[2 (1) (क) देखिए]

एक – तंतु

[288][1. कपास (बिना ओटी हुई)],	2. सन,	[289][3. अंबाड़ी / मेस्टा].

दो – धान्य

[290][1. धान],	2. गेहूं,	3. जौ,
4. ज्वार,	5. मक्का / भुट्टा,	6. बाजरा,
7. कोदों,	8. सावां / समाँ,	9. कुटकी,
10. राला,	11. रागी,	12. राजगिरा,
[291][13. *** विलोपित].	[292][14. जई].	

तीन – दलहन

1. तुअर / अरहर,	2. चना,	3. मटर,
4. मसूर या मसूरी,	5. लाख,	6. मूंग,
7. उड़द / उरदा,	8. कुलथी,	9. लोबिया या मोठ,
10. चौली या बरबटी,	11. सेम या सेमी.	

चार - तिलहन

1. तिल्ली या तिल,	2. अलसी,	[293][3. मूँगफली (छिलका रहित या छिलका सहित)],
4. राई,	5. सोयाबीन,	6. सरसों,
7. अरंडी,	8. कुसुम,	9. रमतिल्ली,

[288] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) प्रतिस्थापित।
[289] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।
[290] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) प्रतिस्थापित।
[291] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) विलोपित।
[292] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 29-03-2023 द्वारा अंतःस्थापित।
[293] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) प्रतिस्थापित।

[294][10. बिनौला (विलोपित)],	11. महुआ,	12. सोहा,
13. लाहा,	[295][14. कोदों (विलोपित)],	15. सूरजमुखी

पांच – स्वापक

1. तंबाकू,	2. पान,	[296][3. अफीम के डोडे (पॉपी कैप्सूल)].

[297][छः – गन्ना

[298][1. गन्ना (विलोपित)],	[299][2. गुड़],	

सात – फल

1. संतरा,	2. नींबू,	3. मीठा नींबू,
4. चकोतरा,	5. आम,	6. केला,
7. अमरूद,	8. अंगूर,	9. सीताफल ,
10. रामफल,	11. पपीता,	12. सेब,
13. जामुन,	14. बेर,	15. चीकू,
16. खिरनी,	17. अनार,	18. तरबूज,
19. खरबूज,	20. नाशपाती,	21. मौसंबी,
22. ककड़ी.		

आठ – सब्जियां

1. सेम या सेमी,	2. लोबिया,	3. भारतीय सेम,
4. सेम बरबटी,	5. गंवार फली,	6. बैंगन,
7. पत्ता गोभी,	8. फूल गोभी,	9. चौलाई साग,

[294] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 20-04-2001 द्वारा मद बिनौला विलोपित।
[295] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 20-06-1989 द्वारा मद कोदों विलोपित।
[296] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) अंतःस्थापित।
[297] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 08-02-1990 से) प्रतिस्थापित।
[298] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 24-04-2013 द्वारा मद गन्ना विलोपित।
[299] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 03-02-2011 द्वारा अंतःस्थापित।

10. चवली लाल,	11. खट्टा पालक,	12. तोरई,
13. करेला,	14. लौकी,	15. कुम्हड़ा
16. कुंदरू,	17. परवल,	18. बंद गोभी/ गांठ गोभी
19. मेथी,	20. पालक भाजी,	21. चौलाई भाजी,
22. भिंडी,	23. टमाटर,	24. मटर,
25. कटहल,	26. अरबी	27. चुकंदर,
28. गाजर,	29. प्याज,	30. आलू,
31. शकरकंद,	32. मूली,	33. शलगम,
34. टिंडा,	35. सूरन,	36. अन्य हरी एवं ताजी सब्जियां

[300][नौ - * विलोपित]**

दस - चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं

1. मिर्ची (गीली तथा सूखी),	2. धनिया,	3. हल्दी,
4. लहसून (गीला तथा सूखा),	5. अदरक (गीला तथा सूखा),	6. मेथीदाना,
7. अजवाइन,	8. इमली,	9. सौंफ,
10. जीरा,	11. राई,	12. असगंध,
13. पोस्ता तथा खसखस,	[301][14. अमचूर या आमचूर या आमखटाई या सूखा आम या आम के सूखे गूदे]	[302][15. खरबूजा बीज]

[303][ग्यारह - * विलोपित]**

बारह - वन उपज

[300] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) विलोपित।
[301] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 23-01-2019 द्वारा अंतःस्थापित।
[302] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 07-12-2019 द्वारा अंतःस्थापित।
[303] मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07-06-1979 से) विलोपित।

[304][1. लाख (विलोपित)],	2. हर्रा,	3. आंवला,
4. बहेड़ा,	[305][5. चिरौंजी (विलोपित)],	6. गोंद (सब प्रकार का),
[306][7. शहद (विलोपित)],	8. मोम,	9. करेली,
10. महुआ के फूल,	11. बांस.	

तेरह - अन्य वस्तुएं

1. सन बीज,	2. गुवार,	3. सिंघाड़ा.

[307][चौदह - फूल]

1. ग्लार्डिया,	2. एनुअल/ क्राइसेन्थियम,	3. एस्टर,
4. गेंदा (अफ्रीकन/ फ्रेंच मेरीगोल्ड),	5. गुलाब,	6. ग्लेडियोलाई,
7. जरबेरा,	8. रजनीगंधा,	9. कारनेशन,
10. बेला (मोगरा),	11. जूही,	12. एन्थूरियम,
13. लिलियम,	14. ट्यूलिप,	15. सेवंती,
16. आयरिश,	17. स्वीट सुल्तान,	18. सिनेरेरिया,
19. साल्विया,	20. एंटीराइनम,	21. जिप्सोफिला,
22. लिमोनिया (स्टेटस),	23. गमफेना,	24. क्रोसेन्ड्रा,
25. हाइड्रेंजिया,	26. हेलीकोनिया प्रजाति,	27. गोल्डन रॉड,
28. डायेन्थस,	29. स्वीट विलियम,	30. क्लॉर्किया,
31. ल्यूपिन,	32. कमल (लोटस),	33. कैलेन्डुला,
34. केवड़ा,	35. ब्लॉसम,	36. चांदनी,
37. ऑर्किड्स.		

नोट :- उपरोक्त "फूलों" की समस्त किस्में एवं प्रजातियाँ (स्पीसिज) अनुसूची में शामिल होंगी.]

पंद्रह - कृषि औषधीय उपज

[304] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 26-09-2016 द्वारा विलोपित।
[305] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 26-09-2016 द्वारा विलोपित।
[306] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 26-09-2016 द्वारा विलोपित।
[307] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 31-01-2005 द्वारा अंतःस्थापित।

1. अशोक,	2. अतीस,	3. बेल,
4. भुई आंवला,	5. ब्राह्मी,	6. चंदन,
7. चिरायता,	8. गिलोय,	9. गुड़मार,
10. गुग्गल,	11. इसबगोल,	12. जटामांसी,
13. कलिहारी,	14. कालमेघ,	15. कोकम,
16. कूठ,	17. कुटकी,	18. मकोय,
19. मुलेठी,	20. सफेद मूसली,	21. पत्थर चूर,
22. पिप्पली,	23. दारू हल्दी,	24. केसर,
25. सर्पगंधा,	26. सनाय,	27. शतावरी,
28. तुलसी,	29. वाय विडंग,	30. वत्सनाभ,
31. चंद्रशूर,	32. रतनजोत बीज,	33. नीम बीज,
34. करंज बीज,	35. स्टीविया,	36. पलाश के फूल,
37. धवई के फूल,	38. अश्वगंधा,	[308][39. सुवा,
40. असालिया,	41. तारामीरा,	42. कलौंजी,
43. असगंध बीज,	44. असगंध पत्ती,	45. मेहंदी,
46. तुलसी पत्ती,	47. तुलसी पंचांग,	48. तुलसी बीज,
49. नीम पत्ती,	50. डोलमी,	51. पुपाड़िया बीज,
52. कंठीली,	53. धमुका,	54. शंखपुष्पी,
55. अडूसा,	56. राजमा,	57. चिरायता बीज,
58. अरीठा,	59. कौंच बीज,	60. हिगोरिया,
61. गुड़बेल,	62. अमलतास,	63. गुवार पाठा,
64. भृंगराज,	65. मुश्कदाना,	66. जामुन गुठली.]

नोट :- उपरोक्त "कृषि औषधीय उपज" की समस्त किस्में एवं प्रजातियाँ (स्पीसिज) अनुसूची में शामिल होंगी.]

[308] मध्यप्रदेश अधिसूचना दिनांक 07-12-2019 द्वारा मद क्रमांक 39 से 66 तक अंतःस्थापित।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल